राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **<u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 09/11/2023 को संपन्न 496वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की **496**वीं बैठक दिनांक 09/11/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 495वीं बैठक दिनांक 08/11/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 495वीं बैठक दिनांक 08/11/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स केतका आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती ममता अग्रवाल), ग्राम–केतका, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2395)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 427322/ 2023, दिनांक 27/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केतका, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1757, कुल

क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/05/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1757, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर, क्षमता–4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3161/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
01/01/2017 से 31/12/2017	575	1,495
01/01/2018 से 31/12/2018	845	2,197
01/01/2019 से 31/12/2019	1,020	2,652
01/01/2020 से 31/12/2020	1,080	2,808
01/01/2021 से 30/09/2021	निरंक	निरंक
01/01/2022 से 31/12/2022		

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्ति दिनांक 16/03/2020 के उपरांत कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है। अतः समिति का मत है कि दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केतका का दिनांक 26/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 716/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 27/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती ममता अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/12/2010 से 07/12/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/12/2020 से 07/12/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10/1078 अम्बिकापुर, दिनांक 09/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गूगल मैप से अवलोकन करने पर आवेदित भूमि से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी 42 कि.मी. है। अतः समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केतका 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–केतका 1.95 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 6.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.85 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 3.1 कि.मी., मौसमी नाला 2.6 कि.मी., तालाब 1.55 कि.मी. एवं नहर 9.35 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 78,726 टन (30,279 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 33,363 टन (12,832 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 30,026 टन (11,548 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 68557 टन (26,368 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 23,194 टन (8,920 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 20,874 टन (8,028 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,655 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,275.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,101 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 4,174.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 194/2, क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,386.8	सप्तम	3,541.2
द्वितीय	2,472.6	अष्टम	3,900
तृतीय	2,670.2	नवम	4,282.2
चतुर्थ	2,827.5	दशम	4,761.9
पंचम	3,116.1		

षष्टम	3,393		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 618 नग वृक्षारोपण किया जाना है। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 468 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 46,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 52,000 रूपये, खाद के लिए राशि 30,900 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,05,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,34,700 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,23,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,655 वर्गमीटर है, जिसमें से 169 वर्गमीटर भाग 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु विस्तृत रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने बाबत् स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
13.66	2%	0.27	Following activities at, **Village- Ketka**	
			Plantation around village Pond	0.50
			Total	**0.50**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) 25 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यो हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत केतका के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1424, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक

जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यक्तानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.55 कि.मी. तथा नहर 9.35 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.95 कि.मी., अस्पताल 6.5 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.2 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाऐगें–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लॉस्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर्स द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जायेगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत् पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।

4. अनुमोदित क्वारी प्लान में उल्लेखित लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने बाबत् स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स पचेड़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पियूष पटेल), ग्राम–पचेड़ा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2244)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411934/ 2022, दिनांक 24/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पचेड़ा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1214, कुल क्षेत्रफल–2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक

में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरी लाल पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1214, कुल क्षेत्रफल–5 एकड़, क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन

क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2898/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
01/07/2017 से 31/03/2018	3,261
01/04/2018 से 31/03/2019	6,478
01/04/2019 से 31/03/2020	2,869
01/04/2020 से 31/03/2021	900
01/04/2021 से 31/03/2022	4,650

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पचेड़ा का दिनांक 06/10/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलॉग विथ इनवायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./उ.प. 72/2011/934 रायपुर, दिनांक 20/04/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2897/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.38 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2897/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। पचेड़ा–मुनगी रोड 200 मीटर की परिधि के भीतर स्थित है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज़ श्री पियूष पटेल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/2002 से 18/07/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों

अर्थात् दिनांक 19/07/2012 से 18/07/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/3169 रायपुर, दिनांक 18/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से मोहरेन्गा नेचर सफारी आर.एफ. कक्ष कमांक 50 से हवाई दूरी 18 कि.मी., निकटतम वन्य जीव अभ्यारण्य बारनवापारा की हवाई दूरी 66 कि.मी., राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी की हवाई दूरी 282 कि.मी. है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पचेड़ा 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। कुल्हन नाला 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,05,868 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,24,755 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,678 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 3,652.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12.48 वर्ष है। कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,167.22	षष्टम	7,749.44
द्वितीय	5,174.64	सप्तम	7,715.81
तृतीय	5,110.91	अष्टम	8,161.94
चतुर्थ	5,280.73	नवम	7,716.38
पंचम	7,929.61	दशम	8,839.21

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से वर्तमान में 201 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं शेष 349 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी एवं के.एम.एल. फाईल से अवलोकन करने पर समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी का कुछ भाग उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। साथ ही माईनिंग प्लान में क्रशर के लिए आबंटित क्षेत्र 2,000 वर्गमीटर के स्थान पर रिजर्व की गणना में 300 वर्गमीटर का उल्लेख है। समिति का मत है कि खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन एव क्रशर के लिए आबंटित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 200 वर्गमीटर क्षेत्र को इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिया होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2897/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से

500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.386 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पचेड़ा) का रकबा 2.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पचेड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 8.406 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   iv. Project proponent shall submit the revised approved mining plan incorporating the actual crusher area and mined out area.

   v. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

   vi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स चितझोर क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम–चितझोर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2403)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/428141/ 2023, दिनांक 07/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चितझोर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,201 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर, क्षमता–1,231 घनमीटर (3,201 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,

however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/03/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 19/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	माईनिंग प्लान में प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	969	निरंक
2018–19	1,074	निरंक
2019–20	1,159	200
2020–21	1,168	80
2021–22	1,189	40
2022–23	1,192	निरंक

2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में नगर पालिक निगम, चिरमिरी का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/20/खनिज/उ.यो. अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ. प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/06/2012 से 24/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/06/2017 से 24/06/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./783 बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 04 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से महत्वूपर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। समिति का मत है कि खदान से महत्वूपर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,200 टन, माईनेबल रिजर्व 29,004 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,103 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,826 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,519.4	षष्टम	3,100.5
द्वितीय	2,792.4	सप्तम	3,198
तृतीय	3,014.7	अष्टम	3,201.9
चतुर्थ	3,038.1	नवम	2,542.8
पंचम	3,092.7	दशम	2,472.6

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि

लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में **कम से कम 500** नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, **खाद एवं सिंचाई** तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नही किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at, **Village-Chitjhor**	
			Plantation around village Pond	0.48
			Total	**0.48**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (नीम, आम, अर्जुन, शीशम आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,200 रूपये तथा सिंचाई एवं रख रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 83,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,99,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे– निकटतम आबादी क्षेत्र, ग्राम, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसैंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स ईरा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक चक्रधारी), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2131)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288964/2022, दिनांक 17/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 483, 490(पार्ट), 493(पार्ट), 494(पार्ट), 495/2, 496(पार्ट), 482, 484(पार्ट), 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 495/1, 495/4(पार्ट) एवं 495/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–3,200 घनमीटर (32,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 475, 478, 482, 483, 494, 496, 484, 493, 490, 492, 476/1, 476/2, 495, 479, 480, 481, 477 एवं 489, कुल क्षेत्रफल–4.682 हेक्टेयर, आवेदित उत्खनन क्षमता–3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   ii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1971/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/11/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,800
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरंक

   iv. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी। परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2020–21 में भी उत्खनन किया गया है। साथ ही विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रस्तुत जानकारी अनुसार क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) एवं 2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में क्रमशः उत्खनन 3,200 घनमीटर एवं 6,500 घनमीटर किया गया

है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता (3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) से अधिक है। अतः यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों ई.आई.ए./ई.एम.पी. तैयार किये जाने हेतु टी.ओ.आर. के लिए विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/01/2023 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की गई है:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 105/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 13/01/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,800
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरंक .

मिट्टी 42 प्रतिशत, फ्लाई ऐश 52 प्रतिशत एवं कोल ऐश 6 प्रतिशत = 100 प्रतिशत उत्पादन में सम्मिलित है।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "उत्पादन की जो जानकारी खनिज विभाग के द्वारा दी गई थी उसमें फ्लाई ऐश की मात्रा समाहित थी, इस संबंध में पुनः उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से दिनांक 13/01/2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उल्लेखित वार्षिक उत्पादन में 42 प्रतिशत मिट्टी, 52 प्रतिशत फ्लाई ऐश, 6 प्रतिशत कोल ऐश सम्मिलित है चूँकि जारी उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शीत मात्रा का मात्र 42 प्रतिशत मिट्टी है जो कि पर्यावरण स्वीकृति क्षमता के अंदर है। उक्त खदान की पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि दिनांक 31/03/2020 तक ही थी चूँकि MoEF&CC के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार 15/03/2020 से 30/04/2020 के बीच के कालखण्डों की पर्यावरण स्वीकृति को 30/06/2020 तक विस्तारित किया गया था एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता जिसकी विधिमान्यता वित्तीय वर्ष 2020–21 में समाप्त हो रही है, को 31 मार्च 2021 या विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से छः मास, जो भी बाद हो, तक विस्तारित किया जाना समझा जाएगा एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021

की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे। उपरोक्त अधिसूचना एवं ओ.एम. के अनुसार जारी पर्यावरण स्वीकृति में हमारे द्वारा किसी प्रकार का पर्यावरण स्वीकृति का उल्लंघन वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में भी नहीं किया गया है तथा उत्खनन पर्यावरण स्वीकृति के अनुरूप किया गया है जो कि जारी पर्यावरण स्वीकृति से ज्यादा नहीं है।"

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/11/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि खदान में तकनीकी समस्या आने के कारण आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि उल्लंघन हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को उल्लंघन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लेख किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स महावीर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रमेश कुमार पटेल), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2182)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405493/ 2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/11/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 912 एवं 913, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,960 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 912 एवं 913, कुल क्षेत्रफल–3 एकड़, क्षमता–40.960 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। वर्तमान में 321 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2939/ख.लि./2022 रायपुर, दिनांक 29/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
01/04/2017 से 31/03/2018	15,000
01/04/2018 से 31/03/2019	26,741
01/04/2019 से 31/03/2020	21,522
01/04/2020 से 31/03/2021	13,281
01/04/2021 से 31/03/2022	25,501

समिति का मत है कि मार्च 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत धनसूली का दिनांक 15/07/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख.लि./तीन–6/उ.प. 56/2005/2657 रायपुर, दिनांक 23/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2896/ख.लि./2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 182.044 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2896/ख.लि./2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 अनुसार 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी संलग्न होना बताया गया है, जबकि जानकारी संलग्न नहीं है। अतः समिति का मत है कि 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए से संबंधित जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स महावीर स्टोन क्वारी, प्रो. श्री रमेश कुमार पटेल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/03/2006 से 28/03/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/03/2016 से 28/03/2026 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 912 आवेदक के नाम पर है एवं खसरा क्रमांक 913 शासकीय भूमि है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी, राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसूली 890 मीटर एवं स्कूल ग्राम–धनसूली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,10,500 टन, माईनेबल रिजर्व 4,09,643 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,68,679 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,312.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,963.5	षष्टम	40,963.5
द्वितीय	40,963.5	सप्तम	40,963.5
तृतीय	40,963.5	अष्टम	40,963.5
चतुर्थ	40,963.5	नवम	40,963.5
पंचम	40,963.5	दशम	40,963.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 550 नग वृक्षारोपण किया जाना है। वर्तमान में 321 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 229 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 1,000 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा के.एम.एल. फाईल से अवलोकन करने पर पाया गया कि लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का कुछ भाग उत्खनित है, उक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में नहीं किया गया है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से 14 मार्च, 2023 के मध्य किया गया। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2896/ख.लि./2022 रायपुर, दिनांक 22/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 182.044 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 183.258 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from April 2022 to till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

iv. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the NOC from competent authority (DFO) mentioning distance between project boundary to forest boundary /National park/ Scanturary.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & alteast 1,000 plants undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals DPR (Detailed Project Report) with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल), ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2322)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420189/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 107, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान द्वारा आवेदित उत्खनन क्षमता–10,526 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 107, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–2,581.8 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 15/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 19/06/2023 एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 19/06/2023 को आवेदन किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 747 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017	निरंक
01/01/2018 से 31/12/2018	432
01/01/2019 से 31/12/2019	301
01/01/2020 से 31/12/2020	63
01/01/2021 से 30/09/2021	780
01/10/2021 से 30/09/2022	882

समिति का मत है कि दिनांक 01/10/2022 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लोहड़ीपुर का दिनांक 17/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1490/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 23/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्रं./2022

महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/08/2010 से 18/08/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/08/2015 से 18/08/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/1613 महासमुन्द, दिनांक 20/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पतेरापाली 500 मीटर, स्कूल ग्राम–पतेरापाली 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–पतेरापाली 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,56,483 टन, माईनेबल रिजर्व 2,17,264 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,95,538 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,552 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 23 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 704 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की ऊँचाई में आउट क्रॉप स्थित है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,525
द्वितीय	10,526
तृतीय	10,526
चतुर्थ	10,526
पंचम	10,526

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 897 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से वर्तमान में 747 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 150 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रूपये, खाद के लिए राशि 760 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,75,760 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,27,920 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग का कार्य पूर्व में ही किया जाना बताया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 510 वर्गमीटर क्षेत्र में 2 मीटर गहराई तक उत्खनन कार्य किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी के उत्खनित भाग का पुर्नभरण किया जा चुका है। समिति का मत है कि उपरोक्त के संबंध में फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के उत्तर–पूर्वी दिशा में संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 156 वर्गमीटर क्षेत्र एवं क्रशर बेल्ट स्थित होने के कारण 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि क्वारी प्लान में लेण्ड यूस पैर्टन में क्रशर हेतु क्षेत्रफल निल बताया गया है, जबकि क्रशर बेल्ट स्थित होने के कारण 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.80	2%	0.81	Following activities at, Village-Lohdipur	
			Plantation around village Pond	8.12
			Total	**8.12**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल आदि) 50 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 11,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,87,250 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,25,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहड़ीपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 87, क्षेत्रफल 1.34 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखे जाने तथा उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किये जाने एवं खदान से निकलने वाली मिट्टी को कही भी विक्रय नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/10/2022 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान के ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत् पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि मेरे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।
11. क्वारी प्लान में लेण्ड यूस पैर्टन में क्रशर हेतु क्षेत्रफल निल बताया गया है, जबकि क्रशर बेल्ट स्थित होने के कारण 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2460)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 430564/2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद, कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग 80 करोड़ रुपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर स्वरूप, एक्जीक्युटिव डॉयरेक्टर (माईन्स), श्री हेमंत दोशी, जनरल मैनेजर (माईन्स) एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पाथ, पी.ओ. दौरान्दा, जिला–रांची, झारखंड की ओर से श्री शुभमय अदक उपस्थित हुए। । समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   i. The proposal of M/s Bhilai Steel Plant (BSP), a subsidiary of Steel Authority of India Ltd (SAIL), is for mining of Iron Ore with enhancement of production capacity from 2.0 MTPA to 3.5 MTPA (ROM) in the MLA of 220.42 ha. The mine is located at Iron Ore Complex (IOC) Dalli Rajhara, Tehsil Dondi District Balod, Chhattisgarh.

   ii. TOR for the Proposal was accorded by to Ministry of Environment, Forest & Climate Change in its 33rd meeting and issued on 09.06.2015.

   iii. Proposal for EC along with final EIA submitted to Ministry of Environment, Forest & Climate Change on 09.12.2017. EAC (Non-Coal Mining) held on 26th Feb 2018.

   iv. EAC rejected the proposal with following comment in Minutes of Meeting and also in letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018. "The proposal was received online and accordingly it was considered by the Expert Appraisal Committee in its meeting held during February 26-27, 2018 wherein the PP informed the Committee that they had never taken EC neither under EIA Notification, 1994 nor EIA Notification, 2006 and mine is operating since 1958. In view of above, EAC mentioned that this is a case of violation as PP had not taken EC under the provisions of the EIA Notification 1994/2006 and the instant proposal may be rejected and appraised as per the provisions of the violation Notification issued by the MoEF&CC vide S.O. 804 (E) dated 14th March 2017. The Committee is also of the view that the Consultant is to be warned that they had to guide properly to the PP so that such case should not have come to this Committee with a letter be written to QCI-NABET for necessary action."

   v. Against decision as taken in the minutes of the 28TH EAC Meeting held on 26TH-27TH February 2018 rejecting the proposal of SAIL for grant of EC, as informed vide letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018, SAIL being aggrieved, have filed Writ Petition (Civil) No. 1734 of 2018 before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur praying, amongst others, to quash the letters dated 26.03.2018 and to issue appropriate directions to the department to consider our proposal of EC for enhancement of production capacity for iron ore complex-Pandridalli and Rajhara Pahar Iron Ore Mines in the District of Balod, Chhattisgarh.

   vi. In view of the approaching deadline of the validity of lease till 27.04.2023, on 16.12.2022, SAIL made an IA in the pending Writ Petition 1734/2018 before Hon'ble Chhattisgarh High Court, to consider the proposal for grant of EC for the purpose of getting the extension of mining lease period of Pandridalli and Rajhara Pahar Mines Lease beyond 27.04.2023 and to maintain continuity of mining operations.

vii. On order dated 20.12.2022 Hon'ble Chhattisgarh High Court, directed the Chhattisgarh State Government to ensure that the application put forth by the BSP/SAIL for renewal of their lease deed which is coming to an end on 27.04.2023 be processed in accordance with law without insisting for the environmental clearance certificate.

viii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 393/खनि.लि./एम.एल./2022 बालोद, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)	वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)
1993–94	27,94,788	2008–09	11,24,190
1994–95	26,68,163	2009–10	15,76,000
1995–96	25,39,338	2010–11	15,38,050
1996–97	22,02,029	2011–12	16,56,030
1997–98	14,38,362	2012–13	13,53,160
1998–99	10,65,000	2013–14	10,27,008
1999–2000	8,92,750	2014–15	17,59,036
2000–01	8,87,100	2015–16	19,67,283
2001–02	8,61,650	2016–17	15,40,031
2002–03	9,33,850	2017–18	17,17,183
2003–04	15,47,650	2018–19	14,59,170
2004–05	13,36,900	2019–20	12,48,921
2005–06	10,67,900	2020–21	13,25,774
2006–07	10,04,650	2021–22	14,00,158
2007–08	11,27,650		

2. **जल एवं वायु सम्मति** –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/03/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक RPR/BALOD/IRON ORE/1374/RMP/2022-23 दिनांक 31/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **लीज संबंधी विवरण –**

- पूर्व में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्राईवेट लिमिटेड (भिलाई स्टील प्रोजेक्ट), भिलाई के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22/04/1960 द्वारा 30 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1958 से दिनांक 31/05/1988 की अवधि के लिए ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़ के कुल रकबा 720 एकड़ (291.498 हेक्टेयर) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के पक्ष में 241.76 हेक्टेयर (आवेदित क्षेत्र में से 120 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन विभाग द्वारा सिर्फ 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिपट्टा नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।) मध्यप्रदेश शासन के आदेश कमांक 3–119/88/12/3/1/5 भोपाल, दिनांक 05/08/1993 द्वारा 10 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी अवधि दिनांक 01/06/1988 से 31/05/1998 तक थी। द्वितीय नवीनीकरण मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 04/03/1999 द्वारा 5 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1998 से दिनांक 27/04/2003 की अवधि के लिए विस्तारित की गई थी। तृतीय नवीनीकरण छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 03/01/2005 एवं दिनांक 15/04/2005 द्वारा 20 वर्षो अर्थात दिनांक 28/04/2003 से दिनांक 27/04/2023 की अवधि के लिए कुल रकबा 241.76 हेक्टेयर में से 220.42 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तारित की गई।

- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–21/2022/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है।

5. **फॉरेस्ट क्लायरेंस संबंधी विवरण** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उपर्युक्त सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार 121.76 हेक्टेयर के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग में लौह अयस्क के खनन के लिए भिलाई स्टील प्लांट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर वन भूमि का आवंटन"** होना बताया गया है। वन विभाग की अनापत्ति 10 वर्षो अर्थात दिनांक 28/04/1993 से दिनांक 27/04/2003 तक जारी की गई थी तत्पश्चात् वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र 06/04/2004 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गहन विचारोपरान्त एवं उपरोक्त सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। केंद्र सरकार इसके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में पंडरी दल्ली राजहरा हिल्स खदानों के लिए पहले से ही टूटी हुई 100.76 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत**

अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन" दिनांक 28/04/1993 से 27/04/2023 तक जारी की गई थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 01/04/2015 के अनुसार **"खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 8(अ) के उपनियम 1 में निर्दिष्ट खनिजों के लिए व्यपवर्तित वन भूमि की अवधि के विस्तार की वैधता खनिपट्टे की लीज अवधि के सह-मियादी (coterminous) होगी।"** समिति का मत है कि विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम जमरूवा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दल्ली राजहरा 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। कुसुम नाला 500 मीटर, तांदुला नदी 2.5 कि.मी., राजहरा बांध 1.6 कि.मी., बोरीडीह बांध 6.7 कि.मी. एवं जमरूवा टैंक 300 मीटर दूर है।
7. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिचाकेट्टा, राजोबिडीह, उनोचापानी, मगर्धा जबकसा, नाघुर एवं संरक्षित वन दल्ली, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 35.57 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 20.17 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 16.14 हेक्टेयर है। ओपन पिट माईनिंग विथ सॉवेल एण्ड डम्पर/टिपर कॉम्बिनेशन फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पहाड़ी सतह से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई राजहरा क्षेत्र में लगभग 152 मीटर एवं पश्चिम कोकन में लगभग 41 मीटर है। बेंच की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। डिप होल लार्ज डाया ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

Year	ROM Production (Tonnes)	Waste (OB) in Tonne
2023-24	21,40,000	51,44,018
2024-25	21,40,000	51,47,364
2025-26	21,40,000	52,89,231
2026-27	21,70,000	54,15,508
2027-28	35,00,000	91,00,000

10. **वेस्ट डम्प प्रबंधन योजना** :-

Dump Area	Present			Conceptual		
	Quantity	Height in meter	Area in Ha.	Quantity	Height in meter	Area in Ha.
Chikali	26.0 MT	82	36.65	77.0 MT	105	46.66
Kokan West	1.57 MT	18	3.80	-	-	3.80

11. **जल आपूर्ति** – वर्तमान में परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1,166 घनमीटर प्रतिदिन है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु आवश्यक जल की कुल मात्रा 3,241 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थिति तक कुल 31.05 हेक्टेयर में लगभग 50,325 नग पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से लगभग 40,347 नग पौधें जीवित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023–24 में 5 हेक्टेयर में लगभग 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m³)**	**Maximum (µg/m³)**	**CPCB Standard (µg/m³)**
$PM_{2.5}$	16	39	60
PM_{10}	37	86	100
SO_2	8.2	22.6	80
NO_2	10.3	28.3	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

    iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.4	78.9	75
Night L_{eq}	32.5	67.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। परिवेशीय ध्वनि स्तर का मान क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से अधिक 78.9 डीबी(ए) है। समिति का मत है कि उक्त स्टेशन के समीप ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु

अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में उल्लेखित **"(iii) The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC. (iv.) At the time of application for EC, in case baseline data is older than three years, but less than five years old in the case of River valley and HEP Projects, or less than four years old in the case of other projects, the same shall be considered, subject to the condition that it is revalidated with one season fresh non-monsoon data collected after three years of the initial baseline data."** के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

vii. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया था। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता मई, 2018 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

15. समिति का मत है कि परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 27/10/2017 प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत हाथकरघा, वस्त्र बुनाई कार्यशाला के सामने, ग्राम–साल्हे, विकासखण्ड–डौण्डी, जिला–बालोद में संपन्न हुई।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा दिनांक 17/04/2020 को निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Be that as it may, the fact remains that the petitioner has now moved the application for grant of environmental clearance certificate which is under consideration before the respondent No. 2. Foreseeing the fact the present mining lease that the petitioner has, expires on 27.04.2023 and also taking note of the fact that the respondents do not dispute or take a

stand that the petitioner is not entitled for grant of environmental clearance certificate, ends of justice would meet, if the Writ Petition as of now is kept pending with a direction to the respondent No. 2 to ensure that the application for grant of environmental clearance is considered on priority basis taking into consideration the short period of time left for the mining lease period of the petitioner.

Accordingly, the respondent No. 2 is expected to take a decision before the expiry of period of mining lease i.e. on 27.04.2023. The decision of the respondent no. 2 would enable the petitioner to purse their application for renewal of the mining lease.

The Respondent No. 2 would also consider the far reaching ramifications as a consequence of the environmental clearance not being granted. The Respondent No. 2 would also consider the fact that the petitioner is a "Maharatna" Company. Subject ofcourse the petitioner meeting all the other requirements under the Rules for obtaining the E.C. certificate, except the fact of the petitioner not having E.C. certificate for the past years, the effect of which would be subject to the outcome of the present writ Petition.

20. **डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किये जाने का अभिमत है:–**

i. वित्तीय वर्ष 1993–94 से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से अद्यतन स्थिति तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी की आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) के अनुसार वार्षिक टर्नओवर की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। (IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL ORIGINAL JURISDICTION WRIT PETITION (CIVIL) NO. 114 OF 2014 ds Page 96 of 114)

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

iv. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

v. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

vi. भारी वाहनों/मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

vii. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

viii. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

ix. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

x. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।

xi. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

xii. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

xiii. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xv. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाए।

xvi. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।

xvii. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

21. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:--**

i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक v, x, xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है तथा अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

ii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत में से बिन्दु क्रमांक i के परिपेक्ष्य

में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में यह जानकारी मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक v के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र के चारों और 7.5 मीटर के पट्टी में वृक्षारोपण हो चुका है। जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया जा चुका है।

बिन्दु क्रमांक vi के परिपेक्ष्य में लौह अयस्क परिवहन खनन पट्टे के ही अंदर खनन पश्चात् लीज क्षेत्र के अंदर से ही रेलवे रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है। अतः इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिन्दु क्रमांक vii के परिपेक्ष्य में जी. एल. सी. की गणना ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो निर्धारित मापदण्ड के भीतर है।

बिन्दु क्रमांक x के परिपेक्ष्य में पलोरा एवं फौना का अध्ययन वन्य प्राणी संरक्षण योजना यदि प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों में समाहित करते हुए 6 माह या 1 वर्ष समय दिया जाकर सस्कृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है। जिसमें समिति को इस प्रकरण न भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें लोक सुनवाई हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्याकंन करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा।

ऑफिस मेमोरेडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकरण में पर्यादरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई तिथि वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन केवल एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के ऑफलाईन से ऑनलाईन प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अतः इस प्रकरण में जिस समय (अतः वर्ष 2017) पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑफलाईन आवेदन किया गया उस समय बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी। साथ ही यह प्रकरण, जैसा कि पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्याकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा पूर्ण की जा चुकी है।

बिन्दु क्रमांक xv के परिपेक्ष्य में विस्तारित खनि पट्टा अवधि तक के लिए फारेस्ट क्लियरेश प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक xvi के परिपेक्ष्य में वन्य प्राणी संरक्षण योजना को पी.सी.सी.एफ. से अनुमोदन करवाकर प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

iii. **डॉ. मनोज कुमार चोपकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ई.आई.ए. स्टडी कराया जाए। इससे सतत् पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित होगी।

उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुये बिन्दु क्रमांक xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी., छ.ग. एवं सदस्यों, एस.ई.ए.सी., छ.ग. के अभिमत में भिन्नता होने के कारण बहुमत के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. बिन्दु क्रमांक 20 के (i) से (xvii) तक की चाही गई जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के समक्ष चर्चा हेतु प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में समय–समय पर जारी आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 156वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटपिटिशन (सिविल) क्र.114/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02/08/2017 के पृष्ठ क्र. 96 में पैरा 3 में वर्ष 1993–94 से अद्यतन स्थिति तक उत्पादन की जानकारी का उल्लेख है। आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) प्रस्तुत करने का उल्लेख प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वर्ष 1993–94 से उत्पादन के आंकड़े ऑनलाईन आवेदन के दौरान प्रस्तुत किये जा चुके है। समिति का मत है कि उल्लंघन के प्रकरण में

आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) प्रस्तुत करने से वार्षिक टनओवर की जानकारी प्राप्त होगी।

2. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1427, दिनांक 18/08/2023 द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तो का पालन पूर्ण रूप से किया जाना बताया गया है।

3. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत 80 करोड़ रुपये का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 1974.8 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु ई–मेल के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त अनुमति (Approval mail) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है। अतः भारतीय खान ब्यूरो के मानक अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण (कॉमन बाउण्ड्री को छोड़कर) किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या, प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. भारी वाहनों/मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लौह अयस्क का परिवहन खनिपट्टे के भीतर ही किया जाता है। खनिपट्टे से बाहर लौह अयस्क को रेल्वे ट्रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है।

7. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

Air Environment In core zone – Post project scenario ($\mu g/m^3$) 24 hourly concentrations	**Suspended Particulate matter (PM_{10}) (max)**
Baseline scenario (max)	83
Perdicted ground level concentrations (max)	8.6
Resultant concentrations	89.6
NAAQ Standards	100

8. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान के कारण हैंडपंप का उपयोग करने पर लाल रंग का दूषित जल आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा 5 एच.पी. की क्षमता का बोरवेल एवं टंकी का निर्माण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है ताकि समस्त घरों में पानी की व्यवस्था हो सके।

ii. जमरूवा की ओर बहने वाले लौह अयस्क मुरूम मिट्टी के रोकथाम, मलकुवर जलाशय से मिट्टी की सफाई एवं खेत में लाल पानी की शिकायत के लिए उपाय किये जाए।

iii. प्रशिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार स्थाई नौकरी दिया जाए।

iv. बोईरडीह जलाशय से सिंचाई हेतु किसानों को पानी दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. दूषित जल के उपाय हेतु साल्हे गांव में सौर आर.ओ. प्लांट स्थापित किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् दो वर्षो के भीतर एक और सौर आर.ओ. प्लांट स्थापित किया जाएगा।

ii. प्रबंधन द्वारा गांव की ओर बहने वाले लौह अयस्क मुरूम मिट्टी के रोकथाम के लिए 4 स्टेप बांध को निर्माण किया गया है तथा जमा मुरूम मिट्टी के डिस्लिटिंग का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

iii. शैक्षणिक योग्यता के अनुसार खुली विज्ञापन के माध्यम से सेल भर्ती नीति के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है।

iv. बोईरडीह बांध (बी.एस.पी. का कैप्टिव बांध) में उपलब्ध पानी का उपयोग बी. एस.पी. माईन्स टाउनशीप दल्लीराजहरा में पीने व घरेलू उपयोग और राजहरा व दल्ली क्रशिंग संयंत्र में औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। सिंचाई के उद्देश्य से पानी किसानों को दिये जाने हेतु अतिरिक्त पानी बांध में उपलब्ध नहीं रहता है।

9. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है। गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास की जानकारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की पर्यावरण प्लान में उल्लेखित है। माईनिंग प्लान का अनुमोदन ऑनलाईन होने के कारण आई.बी.एम. की शील प्लान पर नहीं दिखती है।

10. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

11. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है।

12. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है।

13. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन

बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का निम्नानुसार कथन है:–

1) यह प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है, जिसमें समिति को इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें की लोक सुनवाई (public hearing) हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्यांकन (appraisal) करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेसलाइन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी।

2) इसके अतिरिक्त इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 11189/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13/10/2017 के निर्णय, जिसमें लोक सुनवाई को निश्चित रूप से एक ही बार करने को निर्देशित है, को भी दृष्टिगत रखना होगा। इस निर्णय के सारांश को निम्नानुसार उद्धृत किया है।

Conclusion

We record the submissions of the learned Additional Solicitor General that (a) public hearing can be read into paragraph 5 of the impugned notification and (b) this shall certainly and clearly be a one time measure.

इसी निर्णय के अनुसार सेल की ओड़ीशा राज्य में स्थित लौह अयस्क खनि पट्टे को पुनः लोक सुनवाई से छुट दी गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु सेल की झिलिंगबुरु–1 खदान, जिसकी लोक सुनवाई 2016 में पूर्ण हो चुकी थी, ToR संशोधन वर्ष 2022 के दौरान पुनः लोक सुनवाई को माननीय मद्रास उच्च न्यायलय के इसी निर्णय को आधार मानकर छूट प्रदान की गई ।

3) प्रस्तुत आफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाइन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए. इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई की तिथि भी वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन मात्र MoEFCC के Offline esa Online प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। यह प्रकरण, जैसा की पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई (public hearing) एवं बेसलाइन डाटा पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकरण को माननीय मद्रास उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 11189/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के सन्दर्भ में भी देखा जाना उचित होगा।

4) इस संबंध में समिति के 3 माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया अभिमत स्वतः व्याख्यात्मक है। उपरोक्तानुसार एस.ई.ए.सी. के इस बिन्दु को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है एवं बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई को कराये अधिक समय हो गया है। वर्तमान

में आवेदन अनुसार क्षमता में वृद्धि हो रहा है। अतः अद्यतन स्थिति में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक है।

15. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिपट्टे के विस्तारीकरण की स्थिति में पृथक से फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की आवश्यकता नहीं है। इस बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 01/04/2015 की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन क्षेत्र में कार्य नहीं किये जाने का उल्लेख है। अतः फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की वैधता वृद्धि की प्रति प्राप्त होने उपरांत वन क्षेत्र में कार्य किया जाना है।

16. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. उल्लंघन के प्रकरण में आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) वार्षिक टनओवर की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या, प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।
4. चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है एवं बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई को कराये अधिक समय हो गया है। वर्तमान में आवेदन अनुसार क्षमता में वृद्धि हो रहा है। अतः अद्यतन स्थिति में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाए।
5. फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की वैधता वृद्धि की आदेश प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

8. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में आदेश जारी किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"The representation received from Khaddan Union, District-Rajnandgaon, Chhattisgarh regarding drawing attention and justified cooperation for the loss of economic and revenue due to unnecessary delay by explaining the rules separately in the application submitted by the Environmental Committee (SEAC-CG) for environmental approval on the subject mentioned above. It is kindly requested to refer the representation and provide the status report for further necessary action."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित खदानों को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी वैधता मार्च 2020 या मार्च 2020 के पूर्व तक की अवधि हेतु थी। सभी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अधिकांशतः उत्खनन का कार्य मार्च, 2022 तक किया गया है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के उपरांत भी उत्खनन कार्य किये जाने के कारण उल्लंघन प्रकरण मानते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों को Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Community Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक (भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित खदानों) से पत्राचार किया गया है।

3. एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रकरण लंबित नहीं है। चूंकि अधिकांश परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उपरोक्त के परिपेक्ष्य में जानकारी एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रेषित नहीं की गई है। अतः जानकारी के अभाव में परियोजना प्रस्तावकों के समक्ष प्रकरण लंबित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराये जाने हेतु जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रकरणवार स्थिति की जानकारी एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराये जाने हेतु जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रकरणवार स्थिति की सूची तैयार किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार सूची तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–नवागांव–तूता (सेक्टर–24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2181)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/ 2021, दिनांक 31/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/405169/ 2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–नवागांव–तूता (सेक्टर–24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक – 4/2 एवं अन्य 196 खसरे, क्षेत्रफल – 56.17 हेक्टेयर (134 एकड़) में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स के साथ गोल्फ कोर्स एवं एमेनिटिस के पर्यावरणीय

स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1410, दिनांक 28/09/2021 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार एवं प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप्स एण्ड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु महेश वाधवानी, सी.ई.ओ. एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम केपिटल कॉम्पलैक्स 2.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन मंदिर हसौद 9.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 4.95 कि.मी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 0.95 कि.मी. दूर है। खारून नदी 13.9 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
2. सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/13474/नग्रानि/धारा–30'क'/पी.एल.07/17 रायपुर, दिनांक 22/11/2017 अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई।
3. भवन अधिकारी, नया रायपुर डेव्लपमेन्ट आर्थोरिटी के ज्ञापन क्र 2390–5–/यो.न.नि.प्र./भ.नि.अ./एन.आर.डी.ए./2018 नया रायपुर, दिनांक 24/03/2018 द्वारा कुल निर्मित क्षेत्रफल 41,910.74 वर्गमीटर हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई।
4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Particulars	Area (in m^2)	Percentage (%)
1.	Golf Course	3,78,539.80	67.38
2.	Golf Parking and Roads	31,160.20	5.55
3.	Admin Building and club house	20,998.94	4.31
4.	Parking (Admin and club house)	3,221.97	
5.	Residential Area	84,139.80	14.98
6.	OSR	13,008.15	2.32
7.	Residential and commercial road	25,091.40	4.47

8.	Commercial	5,563	0.99
	Total	**5,61,723.26**	**100.00**

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण कार्य एवं नियमित जल छिड़काव किया गया है। शेष निर्माण कार्यों के लिए भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाएगा।

6. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – निर्माण के दौरान उत्खनित मिट्टी को ढके हुए क्षेत्र में रखा जाएगा एवं उस मिट्टी का उपयोग लेण्ड स्केपिंग, लेवलिंग एवं बैक फिलिंग में उपयोग किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स आदि का रोड निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा। परियोजना से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन/बैग पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 706.61 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 431.61 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 206.25 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 68.75 किलोग्राम प्रतिदिन) तथा स्लज 16.4 किलोग्राम प्रतिदिन एवं वेस्ट ऑयल 100 लीटर प्रतिवर्ष होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट को वेस्ट रिसाईक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा एवं बॉयो डिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में ट्रिट कर खाद में परिवर्तित करने के उपरांत भू–भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा एवं वेस्ट ऑयल को एस.पी.सी.बी. से मान्यता प्राप्त विक्रेता को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 185 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 126 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाइकल वॉटर हेतु 59 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति परियोजना हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर से की जाएगी।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 164 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू से 104.3 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग से 59 घनमीटर प्रतिदिन) उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 175 घनमीटर प्रतिदिन, स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत ऑयल एण्ड ग्रिस ट्रैप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबीआर रियेक्टर, ट्यूब सेटलर, स्लरी कलेक्शन टैंक, सर्ज टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर तथा एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन (क्लोरिन के माध्यम से) कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। उपचारित जल को फ्लशिंग हेतु 59 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लिनिंग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं हार्टिकल्चर हेतु 81 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

8. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 1,776 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 64 नग रिचार्ज पिट (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 2,200 किलोवॉट की आवश्यकता होगी। जिसमें से 406 किलोवॉट विद्युत की आपूर्ति सोलर पॉवर के माध्यम से होगी एवं शेष विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 400 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 3 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 3,78,539.8 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 406 किलोवॉट विद्युत की आपूर्ति सोलर पॉवर के माध्यम से उपयोग किया जाएगा।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 2 किलोमीटर के अंतर्गत 05 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल** :–

Concentration level (μg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**
$PM_{2.5}$	31.2	43	60
PM_{10}	51.8	71.8	100
SO_2	13.5	19.2	80
NO_2	25.1	36.5	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** **ई.आई.ए.** के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये **टेबल अनुसार** क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, **आर्सेनिक**, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	48	52	75
Night L_{eq}	39	43	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 213.8 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07. है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 45 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 258.8 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.09 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में ईको पार्क की स्थापना अथवा तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् उक्त वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण उल्लंघन का प्रकरण है। उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एवं कम्युनिटी रिसोर्स ऑग्युमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वायु को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 6,70,000 रूपये, ध्वनि को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 50,000 रूपये, जल को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 8,75,000 रूपये, भूमि को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 5,90,000 रूपये, पारिस्थितिकीय पर्यावरण (फ्लोरा एवं फौना) को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 2,50,000 रूपये, सोसियो इकोनॉमिक हेतु 1,00,000 रूपये इस प्रकार कुल 29.1 लाख रूपये का प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य किस दिनांक से प्रारंभ कर किस दिनांक तक किया गया है? इस संबंध में जानकारी (Detailed Project Report) प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 01/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

   I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Ecological Damage and Remedition Plan की गणना हेतु निर्माण के दौरान उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल का उपयोग, भूमि का उपयोग, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 25,35,000/– एवं Natural and Community Resource Augmentation Plan के लिए राशि रुपये 3,75,000/– (इस प्रकार कुल राशि रुपये 29,10,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः उक्त गणना को समिति द्वारा अमान्य किया गया।

   II. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 6[3rd] conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" के अनुसार Environmental Compensation हेतु निर्धारित फार्मुला EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of voilation took place, R - a Factor in Rs. For EC, S - Factor for scale of operation LF - Location Factor) अथवा न्यूनतम 5,000 रूपये प्रति दिन का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य दिनांक 24/03/2018 से प्रारंभ कर दिनांक 06/09/2021 तक किया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रूपये प्रति दिन के आधार पर निर्माण कार्य दिनांक 24/03/2018 से दिनांक 06/09/2021 के मध्य की अवधि को संज्ञान में लेते हुये कुल उल्लंघन दिवस 1,263 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 63,15,000/– रूपये (5000 X 1263) होगा।

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:–

  Penalty provisions for violation cases and applications:

  Where operation has not commenced: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP.

  उक्त के संदर्भ में लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 05/11/2022 को किये

गये ऑनलाईन आवेदन में परियोजना का कुल लागत 100 करोड़ उल्लेखित है। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार कुल लागत 100 करोड़ का 1 प्रतिशत किये जाने पर अर्थदण्ड राशि रूपये 1,00,00,000/– होता है।

III. पूर्व में परिवेश पोर्टल में टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में "Whether proposal involved violation of EIA notification" में त्रुटिवश "No" करके आवेदन किया गया था। पुनः प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएस/ 67423/2021, दिनांक 08/09/2021 को परिवेश पोर्टल में टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में "Whether proposal involved violation of EIA notification" में "Yes" करके आवेदन किया गया था। तत्समय समिति द्वारा मान्य किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के बिन्दु क्रमांक 12.2 के अनुसार "The percentage rates, as above, shall be halved if the project proponent suo-moto reports such violations without such violation coming to the knowledge of the government either on enquiry or complaint." का उल्लेख है।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही उल्लंघन की सूचना दिये जाने के कारण से उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् अर्थदण्ड राशि रूपये 1,00,00,000/– को आधा (halved) किये जाने उपरांत अर्थदण्ड राशि रूपये 50,00,000/– होता है।

V. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 63,15,000/– को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराया जाना आवश्यक है। साथ ही अर्थदण्ड राशि रूपये 50,00,000/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10,000	2%	200	Following activities at,	

			Nava raipur	
			Plantation along the periphery of Jhanjh Lake	147.50
			Airport connecting road to Mahatma Gandhi Chowk	58.14
			Total	**205.64**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "झांझ लेख के चारों ओर वृक्षारोपण एवं महात्मा गांधी चौक से एयरपोर्ट तक रोड के किनारे वृक्षारोपण" किया जाना प्रस्तावित है।

झांझ लेख के चारों ओर 90 प्रतिशत जीवन दर के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 15,000 नग पौधों के लिए राशि 30,75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 36,22,500 रूपये, खाद तथा सिंचाई के लिए राशि 8,25,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,04,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 87,26,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 60,23,235 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

महात्मा गांधी चौक से एयरपोर्ट तक रोड के किनारे 90 प्रतिशत जीवन दर के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 5,850 नग पौधों के लिए राशि 11,99,250 रूपये, खाद तथा सिंचाई के लिए राशि 3,21,750 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,39,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 21,60,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 36,54,128 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के जावक क्रमांक 4080, दिनांक 06/06/2023 के माध्यम से यथायोग्य स्थान को नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी सहित सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. दिनांक 06/09/2021 के पश्चात् निर्माण कार्य नहीं किया गया। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–नवागांव–तूता (सेक्टर–24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में खसरा क्रमांक – 4/2 एवं अन्य 196 खसरे, क्षेत्रफल – 56.17 हेक्टेयर (134 एकड़) में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स के साथ गोल्फ कोर्स एवं एमेनिटिस हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 63,15,000/– को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराये जाने बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यादरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की

गई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से उक्त राशि की सूचना प्राप्त करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. अर्थदण्ड राशि रूपये 50,00,000/— को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तहसील—तमनार, जिला—रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 957)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 42692/ 2019, दिनांक 17/09/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 92510/ 2019, दिनांक 01/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लाट नम्बर 102, सेक्टर—ए, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तहसील—तमनार, जिला—रायगढ़ स्थित कुल क्षेत्रफल — 2.39 हेक्टेयर में स्थापित एम. एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता — 59,400 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,48,000 टन प्रतिवर्ष (Through implementation of additional 2x10 MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction furnace) हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना का विनियोग रुपए 6.87 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1665, दिनांक 06/02/2020 द्वारा प्रकरण 'बी—1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन—फेरस) हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 563, दिनांक 23/06/2021 द्वारा टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण —

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 364, दिनांक 10/06/2019 द्वारा उद्योग को स्टील इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 15/06/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से कुछ शर्तों आंशिक पालन एवं कुछ शर्तों का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जिन शर्तों का अनुपालन शेष है, उनका अनुपालन उद्योग प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से एलॉयज स्टील बिलेट्स/इंगाट्स क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/02/2022 को जारी की गई है, जो दिनांक 10/02/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पुंजीपथरा 0.8 कि.मी., ग्राम–तुमिडीह 1.8 कि.मी., शहर रायगढ़ 18.6 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मिडिल स्कूल ग्राम–तुमिडीह 1.8 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 12.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। केलो नदी 6.5 कि.मी. दूर है।

- तराईमल आरक्षित वन 0.3 कि.मी., रेबो आरक्षित वन 3.5 कि.मी., समारूमा आरक्षित वन 4 कि.मी., सुहई आरक्षित वन 5.9 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 6.9 कि.मी., उर्दना आरक्षित वन 7.8 कि.मी. एवं पजहर संरक्षित वन 0.3 कि. मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Land Use	Existing Area as per EC (in sqm)	Proposed Change (in sqm)	Area after Expansion (in sqm)	Area (%)
1.	Covered Area	4473	+1302	5775	24.16
2.	Road Area	466	0	466	1.95
3.	Green Belt	6973	+1154	8127	34.00
4.	Open Area	8988	+544	9532	39.88
Total		**20900**	**+3000**	**23900**	**100**
Note- Additional 3000 sqm adjoining industrial land has been acquired.					

5. **रॉ–मटेरियल –**

Raw Material	Capacity (In TPA)	Mode
Sponge Iron	1,50,858	By Road (through covered trucks)
CI / Pig Iron / Heavy Scrap	32,493	
Ferro Alloys & Aluminum	1,683	
Rumming Mass & Refractory Lining	237	
Total	**1,85,271**	

समिति का मत है कि रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रुशिबल स्मोक हुड विथ डस्ट कलेक्टर के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Induction Furnace	Capacity (In TPA)	Disposal
Defective Billet	5,200	Reused in own induction furnace
Mill Scale	5,200	Will be partially reused in own induction furnace and remaining will be sold to ferro alloy / pellet plants
Slag	21,964	Grounded within premises for metal recovery / given to metal recovery units
Refractory Waste	119	Will be given to authorized recycler
Total	**32,483**	

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार परियोजना हेतु कुल 35 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 2

घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 84 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है। समिति का मत है कि स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4.8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8,337 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग 125 के.व्ही.ए. डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.81 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किये गये है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के

9,532 वर्गमीटर (39.88 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16.7	42.5	60
PM_{10}	42.2	89	100
SO_2	8.9	22.5	80
NO_2	15.9	30.8	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	62.3	75
Night L_{eq}	37.4	53.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 4,326 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.28 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 330 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 4652 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.31 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

12. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान में

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बायोलॉजिकल कन्सर्वेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण व्यवस्था एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु रूपये 8 लाख का प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु प्रथम पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो कि प्रत्येक पांच वर्ष में उद्योग की आयु तक पुनःरीक्षित कर लागू की जाती रहेगी। समिति का मत है कि वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से–

   i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
   ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की **वन आधारित** आजिविका प्रभावित होती हो।

14. लोक सुनवाई दिनांक 11/11/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
687	1%	6.87	Following activities at, **Village - Taraimal**	
			Eco Park Nirman	7.25
			Total	**7.25**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,60,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 4,90,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 7,25,000 रूपये आगामी 3 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम तराईमल के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 37/2, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर में से 1 एकड़) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत तराईमल द्वारा दिनांक 28/09/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि रोपित पौधों की सफलता सुनिश्चित हो सके।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्ण ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाए।

5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

6. स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

7. वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किये जाने तथा ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण करने घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

8. वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रथम 5 वर्षीय विस्तृत योजना प्रस्तुत की जाए। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

9. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –

    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

11. विद्यमान फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार का जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फिनॉलिक वॉटर का पूर्ण निष्पादन बताये गये विधि से किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रक्रिया के अंत में जो फिनॉलिक वॉटर अवशेष के रूप में उत्पन्न होगा उसे परिसंकटमय और अन्य

अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निबंधित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
14. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
15. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
19. सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2023, 06/10/2023 एवं 25/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. पूर्ण ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।
4. रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Source
Sponge Iron	55,872	1,50,858	Open Market
CI / Pig Iron / Heavy	15,636	32,493	

Scrap			
Ferro Alloys & Aluminum	600	1,683	
Rumming Mass & Refractory Lining	89	237	
Total	**72,197**	**1,85,271**	

5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में स्थापित एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) **2x10 MT** से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 2.59 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) (4x12 MT) के उत्पादन हेतु चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.22 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसे पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

6. स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में **परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि** इण्डक्शन फर्नेस परियोजना हेतु सामान्य रूप से 125 से 200 लीटर जल की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है। प्रस्तावित विस्तार परियोजना में प्रति टन स्टील उत्पादन हेतु 200 लीटर प्रतिटन पानी की आवश्यकता मानकर कुल 90 किलोलीटर प्रतिदिन जल का उपयोग अनुमानित किया गया था।

इस संदर्भ में जल की आवश्यकता को रिसायकलिंग एवं उच्च दक्षता के कुलिंग टावर के उपयोग से 125 लीटर प्रति टन तक रखने का प्रस्ताव है। तदानुसार 1,48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु 18,500 किलोलीटर प्रतिवर्ष की आवश्यकता अनुमानित है। तदैव 330 दिन कार्य दिवस मानने पर लगभग 56 किलोलीटर जल प्रतिदिन तक रखने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 56 किलोलीटर प्रतिदिन कुलिंग तथा 5 किलोलीटर प्रतिदिन घरेलु प्रयोजन हेतु इसप्रकार कुल 61 किलोलीटर प्रतिदिन जल की मात्रा को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा हरित पट्टिका में सिंचाई हेतु 4 किलोलीटर प्रतिदिन इसप्रकार 66 किलोलीटर प्रतिदिन रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। इकाई को ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 90 किलोलीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त है। इस बाबत् संशोधित वाटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया गया है।

7. ग्रीनबेल्ट के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि परियोजना स्थल में ले–आउट एवं वास्तविक स्थितियों को अवलोकन करने के पश्चात् परियोजना के सुरक्षित (कुल एवं सुव्यवस्थित संचालन के साथ केवल 45 प्रतिशत ही ग्रीनबेल्ट विकसित किया जा सकता है। अतः 45 प्रतिशत ही ग्रीनबेल्ट के प्रस्ताव को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदैव 45 प्रतिशत ही ग्रीनबेल्ट दर्शाते हुए संशोधित ले–आउट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:–

S. No.	Land Use	Existing Area (sqm)	Proposed Change	Area after Expansion	Area (%)

			(sqm)	(sqm)	
1.	Covered Area	4,473	+1302	5,775	24
2.	Road Area	466	0	466	2
3.	Green Belt	6,973	+3782	10,757	45
4.	Open Area	8,988	-2084	6,904	29
Total		**20,900**	**+3000**	**23,900**	**100**

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 657 नग पौधों के लिए राशि 1,64,250 रूपये, खाद के लिए राशि 45,990 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,20,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 8,30,240 रूपये का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि 45 प्रतिशत भू–भाग पर ग्रीन बेल्ट का विकास विस्तार परियोजना की स्थापना के साथ ही कर लिया जाएगा।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./5312/2023 रायगढ़ दिनांक 04/10/2023 से जारी पत्र अनुसार स्थापित इण्डक्शन फर्नेस के क्षमता विस्तार के विषय में बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान के परीक्षण में 06 बिन्दुओं की कमियां परिलक्षित हुई, जिसकी पूर्ति निम्नानुसार है:–

   i. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में विस्तृत विषय विवरण नही दिया गया था, जिसकी पूर्ति कर ली गई है।

   ii. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में 10 कि.मी. रेडियस के स्टडी एरिया की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी पूर्ति कर ली गई है।

   iii. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गांवो की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी पूर्ति कर ली गई है।

   iv. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में ले–आउट प्लान संलग्न नहीं किया गया था जिसकी पूर्ति कर ली गई है।

   v. आवेदित क्षेत्र का गोमर्डा अभ्यारण्य से एरियल दूरी गुगल अर्थ के आधार पर 71.76 कि.मी. है। उक्त आवेदित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित है। गोमर्डा अभ्यारण्य से दूरी का गुगल अर्थ मानचित्र प्रस्तुत किया गया है।

   vi. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में TOR (Terms of Reference) की प्रति संलग्न नही किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न कर दी गई है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/10/2023 के बिन्दु क्रमांक 3 में "That towards compliance of terms of reference granted to us; we have prepared a Wild Life Conservation Plan and have submitted for approval. to CCF (Wild Life) AranyaBhawan, Department of Forest, Government of CG vide letter No. 2022/RadheGovindStee;/17 Dated 23.11.2022 (submitted to PCCF office on 24.11.2022)" का उल्लेख है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/10/2023 के बिन्दु क्रमांक 4 में "That the above Wild Life Conservation Plan is under evaluation by the department and likely to be approved in some more time to come." का उल्लेख है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/10/2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में "We herwith wish to commit under oath to the SEAC and to SEIAA that we will complay with the terms of approval for conservation of Wild Life as per EIA Notification 2006 and Wild Life Conservation Act 1972 as may be applicable on us." का उल्लेख है।

12. उद्योग की आयु (Life of Industry) लगभग 15 वर्ष है तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें। समिति का मत है कि उद्योग की आयु (Life of Industry) न्यूनतम 30 वर्ष होती है। अतः इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –

    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

14. विद्यमान फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रदूषण भार का जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना इंडक्शन फर्नेस के माध्यम से एम एस बिलेट बनाने की परियोजना है इसमे विद्युत आधारित इंडक्शन फर्नेस का उपयोग समाहित है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर का उपयोग किया जाता है एवं भविष्य में भी बैग फिल्टर ही उपयोग किया जावेगा। तदैव परियोजना में निर्माण प्रकिया या प्रदूषण नियंत्रण में फिनालिक वाटर की उत्पत्ति सभावित नहीं है।

    परियोजना सभावित परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट उत्पन्न छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण से आवश्कयता प्राधिकार प्राप्त कर उनका निराकरण और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) अधिनियम, 2016 के मार्गदर्शनों के अनुरूप किया जावेगा।

16. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

    i. आस–पास के क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण चिंता का विषय है। धूल रोकथाम उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

    ii. स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए।

iii. उद्योगों में दूषित जल की उपचार एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है।

iv. आस–पास रहने वाले सभी लोगों की समय–समय पर स्वास्थ्य जांच करवाई जानी चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। कच्चे माल के लिए सभी आंतरिक सडकें और प्लेटफार्म पक्के बनाये गये है। उड़नकारी उत्सर्जन को रोकने के लिए संयंत्र परिसर के भीतर हरित पट्टी विकसित की गई है। परियोजना में किसी भी प्रकार के जिवाश्म ईंधन अर्थात कोयला या फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह परियोजना केवल विद्युत ऊर्जा से संचालित होती है। पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन को निर्धारित 30 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है।

ii. राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

iii. उद्योग में जल शीतलन एवं घरेलू उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है। कूलिंग के लिए क्लोस्ड सर्किट सिस्टम लगा हुआ है जिससे औद्योगिक दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पीट निर्मित है। प्रस्तावित परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा जिससे उपचारित जल को पुनः उपयोग में लाया जाएगा। उद्योग क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट स्लैग को मेटल रिकव्हरी तथा ईंट निर्माण हेतु दिया जाता है।

iv. परियोजना क्षेत्र के आस–पास के ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य जांच के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा।

17. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि ओपी जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया निजी इंडस्ट्रीयल पार्क है। इस हेतु जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को सीएसआईडीसी ने जमीन अधिग्रहित कर इंडस्ट्रीयल स्टेट विकसित करने हेतु लीज पर प्रदान की है। इस भूमि के इंडस्ट्रीयल पार्क हेतु अधिग्रहण हेतु प्रकाशित अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही सीएसआईडीसी एवं जिंदल स्टील एड पावर लिमिटेड के मध्य हुई लीज डीज की प्रति प्रस्तुत की गई है।

18. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
687	1%	6.87	Following activities at, Village - Taraimal	
			Eco Park Nirman	7.45
			Total	**7.45**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 1,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,12,375 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 7,500 रूपये, वॉकवे डेव्हलपमेंट के लिए राशि 50,000 रूपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 67,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 4,02,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों हेतु कुल राशि 3,43,000 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तराईमल के सहमति उपरांत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 37/2, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर में से 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड को ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ स्थित प्लाट नम्बर 102, सेक्टर-ए, क्षेत्रफल 2.39 हेक्टेयर में स्थापित एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता - 59,400 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,48,000 टन प्रतिवर्ष (Through implementation of additional 2x10 MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction furnace) हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

उद्योग की आयु (Life of Industry) न्यूनतम 30 वर्ष होती है। अतः परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) को एस.ई.

आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की **शर्त के अधीन** पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सद्गुरू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 154, सेक्टर–एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 800)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 63277/2021, दिनांक 11/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 33391/ 2019, दिनांक 31/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक्टर–एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लॉट नं. 154, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता–57,321 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (Through implementation of additional 2x10 MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction furnace) क्षमता–1,48,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई का विनियोग रूपये 7.80 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 8 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक कमांक 542, दिनांक 22/07/2019 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 1 नग एवं 8 टन गुणा 1 नग) (एम.एस. बिलेट) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (10 टन

गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जिन शर्तों का अनुपालन शेष है, उनका अनुपालन उद्योग प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 04/07/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से कुछ शर्तों आंशिक पालन एवं कुछ शर्तों का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 04/07/2022 द्वारा प्रस्तुत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन प्रतिवेदन में निरीक्षण दिनांक का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में किये गये निरीक्षण दिनांक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जिन शर्तों का अनुपालन शेष है, उनका अनुपालन उद्योग प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 13/08/2021 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 01/09/2021 से 31/08/2023 तक की अवधि हेतु है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 900 मीटर एवं शहर रायगढ़ 19 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 12.64 कि.मी. की दूरी पर है। वीर सुरेन्द्र साईं एयरपोर्ट (झारसुगढ़ा एयरपोर्ट) 75 कि.मी. की दूरी पर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। देवनमुण्डा नाला 1.1 कि.मी. एवं केलो नदी 7.22 कि.मी. की दूरी पर है।

- उर्दना आरक्षित वन 6.5 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 8.1 कि.मी., खरिडंगरी आरक्षित वन 8.3 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 800 मीटर, रेबो आरक्षित वन 6.2 कि.मी. एवं समारूमा आरक्षित वन 2.8 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. रॉ–मटेरियल –

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Mode
Sponge Iron	55,256	1,47,349	By Road (through covered trucks)
CI/Pig Iron/ Heavy Scrap	12,185	32,493	
Ferro Alloys & Aluminium	622	1,683	
Ramming Mass and Refractory lining	89	237	
Total	**68,152**	**1,81,762**	

समिति का मत है कि रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (In ha)	Area (%)
1.	Built Up Area	5,364	26.82
2.	Paved Area	798	3.99
3.	Open Area	6,995	34.98
4.	Greenbelt	6,843	34.22
Total		**20,000**	**100**

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Product	Existing		Proposed Capacity Addition	Ultimate Capacity After Expansion	
	Facility	Capacity (TPA)	Capacity (TPA)	Facility	Capacity (TPA)
M.S. Ingots/ Billet	10 MT X 2 Nos. Induction Furnace along with CCM	57,321	90,679	*12 MT X 4 Nos. Induction Furnace along with CCM	1,48,000
Note: *Upgradation of existing Induction Furnace 10 MT X 2 Nos. to 12 MT X 2 Nos. and proposed new Induction Furnace 12 MT X 2 Nos.					

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में मुवेबल संक्सन हुड (Movable Suction Hood) के साथ बेग फिल्टर (उन्नयन कर) एवं 30 मीटर

ऊंची स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Disposal Method
Defective Billets	1,800	5,648	Reused in own Induction Furnaces
Mill Scale	891	4,752	Sold to Ferro alloys/pelletization Plants
Slag	6,910	18,420	Grounded within premises for metal recovery / given to metal recovery units and/ or sent to Jindal Slag dumping yard
Refractory Waste	45	119	Given to recycler / landfill
Total	**9,646**	**28,939**	

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलिंग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 95 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलिंग हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति ग्राउण्ड वॉटर से की जाती है। घरेलू उपयोग हेतु भू–जल का उपयोग किया जाता है, वर्तमान में 14 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिये जाने हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा अधिक जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4.8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 7,503 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग 125 के.व्ही.ए. डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 6843 वर्गमीटर (34.22 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 34.22 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति का मत कि वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

  i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से मई 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

  ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants

Criteria Pollutants	Minimum ($\mu g/m^3$)	Maximum ($\mu g/m^3$)	CPCB Standard ($\mu g/m^3$)
$PM_{2.5}$	16.7	42.5	60
PM_{10}	42.2	89.0	100
SO_2	8.9	22.5	80
NO_2	15.9	30.8	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.6	62.3	75
Night L_{eq}	37.4	53.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 4,326 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.28 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 326.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 4652.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.31 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

14. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बायोलॉजिकल कन्सर्वेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण व्यवस्था एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु रूपये 8 लाख का प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु प्रथम पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो कि प्रत्येक पांच वर्ष में उद्योग की आयु तक पुनःरीक्षित कर लागू की जाती रहेगी। समिति का मत है कि वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई,

उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से–

    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

16. लोक सुनवाई दिनांक 12/11/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
800	1%	8.0	Following activities at, **Village - Taraimal**	
			Eco Park Nirman	8.00
			Total	**8.00**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,60,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 5,65,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 8,00,000 रूपये आगामी 3 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम तराईमल के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 37/2, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर में से 1 एकड़) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत तराईमल द्वारा दिनांक 28/09/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि रोपित पौधों की सफलता सुनिश्चित हो सके।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्ण ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में किये गये निरीक्षण दिनांक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
8. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

9. वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित **वृक्षारोपण क्षेत्र** (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (**Mortality replacement**) किये जाने तथा ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण करने घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

10. वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रथम 5 वर्षीय विस्तृत योजना प्रस्तुत की जाए। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

11. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –
    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

13. विद्यमान फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार का जैव-विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

15. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

16. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/12/2022, 06/10/2023 एवं 25/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्ण ले—आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा निरीक्षण दिनांक 27/05/2022 को किया गया।
4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।
5. रॉ—मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:—

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Source
Sponge Iron	55,256	1,47,349	Open Market
CI / Pig Iron / Heavy Scrap	12,185	32,493	
Ferro Alloys & Aluminum	622	1,683	
Rumming Mass & Refractory Lining	89	237	
Total	**68,152**	**1,81,762**	

6. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति उपरांत जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र जारी की जाती है।

7. स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता **विस्तार किया जाना** प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु **स्थापित इकाई** से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में **परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि** इण्डक्शन फर्नेस एवं हॉट चार्जिंग परियोजना हेतु सामान्य रूप से 125 से 200 लीटर जल की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है। प्रस्तावित विस्तार परियोजना में प्रति टन स्टील उत्पादन हेतु 200 लीटर प्रतिटन पानी की आवश्यकता मानकर कुल 90 किलोलीटर प्रतिदिन जल का उपयोग अनुमानित किया गया था।

इस संदर्भ में जल की आवश्यकता को रिसायकलिंग एवं उच्च दक्षता के कुलिंग टावर के उपयोग से 125 लीटर प्रति टन तक रखने का प्रस्ताव है। तदानुसार 1,48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु 18,500 किलोलीटर प्रतिवर्ष की आवश्यकता अनुमानित है। तदैव 330 दिन कार्य दिवस मानने पर लगभग 56 किलोलीटर जल प्रतिदिन तक रखने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 56 किलोलीटर प्रतिदिन कुलिंग तथा 5 किलोलीटर प्रतिदिन घरेलु प्रयोजन हेतु इसप्रकार कुल 61 किलोलीटर प्रतिदिन जल की मात्रा को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा हरित पट्टिका में सिंचाई हेतु 4 किलोलीटर प्रतिदिन इसप्रकार 66 किलोलीटर प्रतिदिन रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। इस बाबत् संशोधित वाटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया गया है।

8. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में स्थापित एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) 2x10 MT से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 1.25 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) (4x12 MT) के उत्पादन हेतु चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.22 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसे पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. ग्रीनबेल्ट के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि परियोजना स्थल में ले-आउट एवं वास्तविक स्थितियों को अवलोकन करने के पश्चात् परियोजना के सुरक्षित (कुल एवं सुव्यवस्थित संचालन के साथ केवल 42 प्रतिशत ही ग्रीनबेल्ट विकसित किया जा सकता है। अतः 42 प्रतिशत ही ग्रीनबेल्ट के प्रस्ताव को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदैव 42 प्रतिशत ही ग्रीनबेल्ट दर्शाते हुए संशोधित ले-आउट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार हैः-

S. No.	Land Use	Area (sqm)	Area (%)
1.	Builtup Area	5,364	26.82
2.	Paved Area	798	3.99
3.	Open Area	5,438	27.19
4.	Green Belt	8,400	42
Total		**20,000**	**100**

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुल प्रस्ताव अनुसार 2,100 नग पौधों के लिए राशि 2,60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 78,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि

1,50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,40,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 15,28,000 रूपये का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि 42 प्रतिशत भू–भाग पर ग्रीन बेल्ट का विकास विस्तार परियोजना की स्थापना के साथ ही कर लिया जाएगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/10/2023 के बिन्दु क्रमांक 3 में "That towards compliance of terms of reference granted to us; we have prepared a Wild Life Conservation Plan and have submitted for approval. to CCF (Wild Life) Aranya Bhawan, Department of Forest, Government of CG vide letter No. 2022/Sadgurulspat;/018 Dated 23.11.2022 (submitted to PCCF office on 25.11.2022)" का उल्लेख है।

    परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/10/2023 के बिन्दु क्रमांक 4 में "That the above Wild Life Conservation Plan is under evaluation by the department and likely to be approved in some more time to come." का उल्लेख है।

    परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/10/2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में "We herwith wish to commit under oath to the SEAC and to SEIAA that we will complay with the terms of approval for conservation of Wild Life as per EIA Notification 2006 and Wild Life Conservation Act 1972 as may be applicable on us." का उल्लेख है।

    साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./5314/2023 रायगढ़ दिनांक 04/10/2023 से जारी पत्र अनुसार स्थापित इण्डक्शन फर्नेस के क्षमता विस्तार के विषय में बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान के परीक्षण में 06 बिन्दुओं की कमियां परिलक्षित हुई, जिसकी पूर्ति निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में विस्तृत विषय विवरण नहीं दिया गया था जिसकी पूर्ति कर ली गई है।
ii. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में 10 कि.मी. रेडियस के स्टडी एरिया की जानकारी नहीं दी गई थी जिसकी पूर्ति कर ली गई है।
iii. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गांवो की जानकारी नहीं दी गई थी जिसकी पूर्ति कर ली गई है।
iv. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में ले–आउट प्लान संलग्न नहीं किया गया था जिसकी पूर्ति कर ली गई है।
v. आवेदित क्षेत्र का गोमर्डा अभ्यारण्य से एरियल दूरी गुगल अर्थ के आधार पर 71.30 कि.मी. है। उक्त आवेदित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित है। गोमर्डा अभ्यारण्य से दूरी का गुगल अर्थ मानचित्र प्रस्तुत किया गया है।
vi. प्रस्तुत बायोलॉजिकल कंजरवेशन प्लान में **TOR (Terms of Reference)** की प्रति संलग्न नही किया गया था जिसकी प्रति संलग्न कर दी गई है।

11. उद्योग की आयु (Life of Industry) लगभग 15 वर्ष है तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA

Fund)" में जमा करेगें। समिति का मत है कि उद्योग की आयु (Life of Industry) न्यूनतम 30 वर्ष होती है। अतः परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –

    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

13. विद्यमान फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रदूषण भार का जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. आस–पास के क्षेत्र में हाथियों का आवागमन होता है जिससे ग्रामीणों के खेतों के साथ–साथ मानवीय क्षति होती है। प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका विवरण नहीं दिया गया है।

    ii. क्षेत्र मे निवासरत लोग कृषि, पशुधन एवं वनोपज का संग्रह कर जीवन यापन करते है। औद्योगिकीकरण के कारण लोगों का जीवनयापन खतरे में पड़ गया है। इसलिए आस–पास के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

    iii. 10 कि.मी. के क्षेत्र में आंगनबाड़ी, प्राईमरी, मिडिल एवं हायर सेकेण्डरी के 40 से ज्यादा स्कुल में बच्चे पढ़ते है। जिनका अब तक किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया है। क्षेत्र में स्नोफिलिया, दमा, टी.बी., कैंसर और शरीर में चर्मरोग जैसी बीमारियां पायी गई है इनके लिए किसी भी प्रकार के कैम्प का आयोजन नहीं किया गया है। वायुप्रदूषण के दुष्प्रभाव से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

    iv. क्षेत्र में स्थित उद्योगों के लिए चलने वाले ट्रकों से व्यापक पैमानें पर दुर्घटनाएं होती है, जिसका विवरण प्रस्तुत रिपोर्ट में नहीं दिया गया है साथ ही विस्तार के उपरान्त सड़कों में दबाव बढ़ेगा जिससे दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी होगी।

    v. ध्वनि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक उपाय किये जाने चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. आस–पास के क्षेत्रों में यदा–कदा हाथियों का आवागमन होता है, परियोजना हेतु बॉयोलॉजिकल कंजर्वेसन प्लान निर्मित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार कंजर्वेसन प्लान हेतु 8,00,000 रूपये का बजट रखा गया है जिसे वन विभाग के सामन्जस्य में व्यय किया जाएगा।

ii. वर्तमान उद्योग में स्थानीय लागों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाता है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाएगा।

iii. प्रस्तावित परियोजना में किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला या फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं किया जाता है। पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन को निर्धारित 30 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में वैज्ञानिक विधि से आस–पास के वातावरण में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित कार्य से पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

iv. प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण यातायत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तावित कार्य से मात्र 52 ट्रक प्रतिदिन ईकाई प्रस्तावित यातायत का दबाव आयेगा जिस हेतु औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त अधोसंरचना उपलब्ध है। दुर्घटनाओं से बचाव हेतु वाहन चालकों को समय–समय पर गतिसीमा को नियंत्रित रखते हुए सुरक्षित वाहन चलाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। नशे की अवस्था में वाहन चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। समान ढ़ंक कर परिवहन किया जाएगा।

v. इंडक्शन फर्नेस पैनल के कमरों में ध्वनि अवरोधक प्रदान किये जाते है, साथ ही सभी मोटर और पंप आदि में एंटीवाइब्रेटिंग पैड लगाये जाते है। उद्योग में जल शीतलन एवं घरेलू उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है। कूलिंग अपशिष्ट जल कि उपचार के लिए न्यूट्रलाईजेशन पीट प्रदान किया जाता है। उपचारित जल का उपयोग स्लैग शमन में किया जाता है। घरेलु दूषित जल को एस.टी.पी. में उपचारित किया जाता है। एम.बी.बी.आर. की तकनीक पर आधारित एस.टी.पी. लगाने का कार्य प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की विधि का पालन किया जाता है।

15. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि ओपी जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया निजी इंडस्ट्रीयल पार्क है। इस हेतु जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को सीएसआईडीसी ने जमीन अधिग्रहित कर इंडस्ट्रीयल स्टेट विकसित करने हेतु लीज पर प्रदान की है। इस भूमि के इंडस्ट्रीयल पार्क हेतु अधिग्रहण हेतु प्रकाशित अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही सीएसआईडीसी एवं जिंदल स्टील एड पावर लिमिटेड के मध्य हुई लीज डीज की प्रति प्रस्तुत की गई है।

16. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
800	1%	8.0	Following activities at, Village - Taraimal	
			Eco Park Nirman	9.14
			Total	**9.14**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 1,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,10,200 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, बोर तथा सिंचाई के लिए राशि 82,500 रूपये, वॉकवे डेव्हलपमेंट के लिए राशि 1,00,000 रूपये, रेस्टींग चेयर के लिए 25,000 रूपये एवं रख–रखाव के लिए राशि 67,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 5,50,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों हेतु कुल राशि 3,64,000 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तराईमल के सहमति उपरांत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 37/2, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर में से 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स सद्गुरू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लॉट नं. 154, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (एम. एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता–57,321 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (Through implementation of additional 2x10 MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction furnace)

क्षमता–1,48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. उद्योग की आयु (Life of Industry) न्यूनतम 30 वर्ष होती है। अतः परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मुढ़ीपार लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.– श्रीमती गीता बाई वर्मा), ग्राम–मुढ़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2474)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430973/2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/7(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8, कुल क्षेत्रफल–2.645 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,804.12 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता बाई वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/1(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8, कुल क्षेत्रफल–2.645 हेक्टेयर, क्षमता–19,804.12 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 05/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 04/08/2023 तक वैध है।

   ii. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म–1 एवं क्वारी प्लान में खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/7(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8 का उल्लेख है। परन्तु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/1(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8 है। अतः समिति का मत है कि उक्त खसरा क्रमांक 127/7(पार्ट) एवं 127/1(पार्ट) में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से स्थिति स्पष्ट कराते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1284/बी 3–3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 09/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	6,800
2019–20	6,000
2020–21	13,000
2021–22	16,000
2022–23	14,000

समिति का मत है कि दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भद्रपाली का दिनांक 22/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वॉरी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 331/ख.लि./तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 26/05/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1284/बी 3–3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 09/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 576.529 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1284/बी 3–3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 09/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनीकट, बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती गीता बाई वर्मा के नाम पर है। लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 126/6 127/6 व 128/6 श्रीमती बिंदेश्वरी बाई, खसरा क्रमांक 126/7 (पार्ट), 127/7 (पार्ट) व 128/7 (पार्ट) श्रीमती उमा बाई एवं खसरा क्रमांक 126/8, 127/8, 128/8 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 470 मीटर, स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 700 मीटर एवं अस्पताल बलौदाबाजार 8 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.078 कि.मी. दूर है। तालाब 900 मीटर, नाला 4.3 कि.मी. एवं नहर 40 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,63,687 टन, माईनेबल रिजर्व 2,18,920 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,97,028 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,036.19 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है, ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 9,206.91 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,791.62	षष्टम	19,804.12
द्वितीय	19,804.12	सप्तम	19,804.12
तृतीय	19,804.12	अष्टम	19,804.12
चतुर्थ	19,804.12	नवम	19,804.12
पंचम	19,804.12	दशम	19,804.12

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.655 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या सहित पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुत क्वारी प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर नहर स्थित है। समिति का मत है कि नहर के तरफ लीज क्षेत्र के भीतर 10 मीटर (नहर से कुल 50 मीटर) दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/1(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8

है, उक्त खसरा क्रमांक 127/7(पार्ट) एवं 127/1(पार्ट) में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से स्थिति स्पष्ट कराते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. नहर के तरफ लीज क्षेत्र के भीतर 10 मीटर (नहर से कुल 50 मीटर) दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/1(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8 है, उक्त खसरा क्रमांक 127/7(पार्ट) एवं 127/1(पार्ट) में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से स्थिति स्पष्ट कराते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वास्तव में पूर्व में जिला स्तरीय द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में टंकन त्रुटिवश खसरा क्रमांक 127/7(पार्ट) के स्थान पर 127/1(पार्ट) उल्लेख हो गया है। अतः फाईनल ई.आई.ए. के प्रस्तुतीकरण के पूर्व कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से स्पष्ट कराकर आदेश प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वर्तमान में टी.ओ.आर. जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. प्रस्तुत लीज डीड अनुसार लीज श्रीमती गीता बाई वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/11/2017 से 07/11/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।
3. नहर के तरफ लीज क्षेत्र के भीतर 10 मीटर (नहर से कुल 50 मीटर) दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लीज बाउण्ड्री से नहर की वास्तविक दूरी 57 मीटर है, जबकि खनन योजना में दूरी 40 मीटर बताया गया है। लीज बाउण्ड्री से नहर की वास्तविक दूरी को गूगल अर्थ इमेज में दर्शाते हुये गूगल इमेज की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः नवीन खनन योजना की आवश्यकता नहीं है। समिति का मत है कि चूंकि प्रस्तुत खनन योजना में लीज क्षेत्र से नहर की वास्तविक दूरी 40 मीटर है। लीज बाउण्ड्री से नहर की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खसरा क्रमांक 126/6, 126/7(पार्ट), 126/8, 127/6, 127/1(पार्ट), 127/8, 128/6, 128/7(पार्ट) एवं 128/8 है, उक्त खसरा क्रमांक 127/7(पार्ट) एवं 127/1(पार्ट) में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से स्थिति स्पष्ट कराते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज बाउण्ड्री से नहर की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। गैर माईनिंग क्षेत्र रखने की अनिवार्यता होने पर संशोधित अनुमोदित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स), ग्राम–परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 2546)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 435032/ 2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित हॉस्पिटल ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप एरिया–42,489.63 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 120 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये है। ऑनलाईन आवेदन के दौरान त्रुटिवश फार्म में 250 करोड़ रूपये का उल्लेख हो गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रोजेक्ट की लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है। अतः परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपये मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। समिति का मत है कि निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन के नाम पर है।

4. **लेण्ड यूज स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर में से सड़क मार्ग की चौड़ाई के कारण 845.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा।

S.No.	Land use	Area (sq.m)	Percentage (%)
1.	Ground Coverage area	11,342.30	30.00
2.	Internal roads and pathway	16,721.60	44.23
3.	Open Parking area	5,962.40	15.77
4.	Green Belt area	3,780.80	10.00
	Total	**37,807.52**	**100**

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (sq.m)
1.	Hospital Building	27,755.21
2.	Nursing College	2,482.48
3.	Hotel Block	2,451.62
4.	Nursing Hostel	1,416.17
5.	Doctors Apartment	1,335.28
6.	Total Built-up Area (A)	35,440.76
7.	Total Parking (B)	7,048.87
	Total (A+B)	**42,489.63**

6. **फ्लोर संबंधी विवरण** –

S.No.	Floor	Area in Sq.m						
		Hospital Building	Nursing college	Hotel block	Nursing hostel	Doctors apartment	Total Built-up area (A)	Total Parking (B)
1.	Basement – 2 (BUP – 1610.92 + Stack parking – 3042.68 Sq.m)	1610.92	–	–	–	–	1610.92	3042.68
2.	Basement – 1 (BUP – 1979.96 + Stack parking – 2496.53 Sq.m)	1979.96	–	–	–	–	1979.96	2496.53
3.	Ground floor (Parking) / Stilt floor	–	544.99	553.48	–	411.19	–	1509.66
4.	Ground Floor	3563.20	–	–	458.31	–	4021.51	
5.	Floor - 1	4214.81	663.72	676.71	320.06	333.82	6209.12	
6.	Floor - 2	3740.34	454.69	437.27	318.90	333.82	5285.02	
7.	Floor - 3	3654.85	454.69	445.88	318.90	333.82	6208.14	

8.	Floor - 4	2984.74	454.69	445.88	–	333.82	4219.13	
9.	Floor - 5	2984.74	454.69	445.88	–	–	3885.31	
10.	Floor - 6	3021.65	–	–	–	–	3021.65	
	Total	**27755.21**	**2462.48**	**2451.62**	**1416.17**	**1335.28**	**35440.76**	**7048.87**

7. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 3,000 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।

9. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Basement-1, Basement-2 एवं Ground floor में वाहनों के पार्किंग हेतु गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 354 Equivalent Car Space (ECS) की आवश्यकता होगी। उक्त हेतु 605 Equivalent Car Space (ECS) रखा जाना प्रस्तावित है।

12. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

13. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** –

S.N.	Waste	Quantity	Disposal
1.	Municipal Solid Waste	1,192.5 Kg/day	The garbage will be segregated at source through collection bins into Bio-degradable waste and Non Bio-degradable waste. Plastic waste will be given to the waste recyclers and bio-degradable waste will be disposed to the Municipal corporation bins. Kitchen and food waste generated will be bio-composted within the project site premises and will be used as manure for greenbelt development.
2.	Bio-medical waste	187.5 Kg/day	Will be disposed as per Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules
3.	Sludge from STP	42.7 Kg/day	Stored in HDPE bags and will be used as manure /given to farmers.
4.	Waste Oil	100 Liter / Annum	Will be given to SPCB approved vendors.

14. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन –

Category	Quantity	Types of waste	Disposal
Yellow	approx 108.75 kg/day	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes.	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Red	approx 37.5 kg/day	Contaminated plastic wastes.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	approx 11.25 kg/day	Waste sharps including metals.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	approx 30 kg/day	Metallic body Implants and glasswares.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Total	**187.5 kg/day**		

15. अस्पताल में जनित होने वाले ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

16. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 497 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 228 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 129 घनमीटर प्रतिदिन, किचन हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन, लैब हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, लाउण्ड्री हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर वाशिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन तथा फिल्टर/आर.ओ. बेक वॉश 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नगर पालिका/भू–जल के माध्यम से की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति हेतु पाईप लाईन कनेक्शन के लिए जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति हेतु अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – कंस्ट्रक्शन फेज में दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशनल फेज में

दूषित जल की मात्रा 427 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 2 नग 250 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सीवेज कलेक्शन कम इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबीआर रिएक्टर, ट्यूब सेटलर, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राईंग बेड/स्लरी कलेक्शन टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर फलशिंग, वृक्षारोपण आदि हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष दूषित जल को नगर पालिका के ड्रेन में डिस्चार्ज किया जाएगा। समिति का मत है कि डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,505.18 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 13 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

17. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 4,500 के.डब्ल्यू.एच. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 3,780.8 वर्गमीटर (10 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव-वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। कुल रूफ एरिया के एक तिहाई भाग में सोलर पैनल की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12000	2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.	230	Following activities at Proposed Land	
			Eco Park Nirman	230
			Total	**230**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु उपयुक्त प्रस्ताव (गणना सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईको पार्क निर्माण हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता के संबंध में संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन एवं सरपंच ग्राम पंचायत बरोंदा तथा नगर निगम, रायपुर को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना के ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. अस्पताल में जनित होने वाले ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. जल की आपूर्ति की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

11. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण'' के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (कम से कम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के बैठक क्रमांक 484वीं, दिनांक 25/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 02/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपये की विस्तृत जानकारी सहित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण

सार्वजनिक स्थलों के नाम एवं दूरी का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रस्तावित परियोजना के ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया गया है।

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन कमांक 2588/नग्रानि/धारा–29/सी.जी./आर.पी.आर./टी.एन.सी.पी./2023/0051/ 2023 रायपुर, दिनांक 23/08/2023 द्वारा कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर हेतु जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष तक प्रभावशील है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन कमांक /सी.जी./आर.पी.आर./बी.पी.सी./2023/0496/2023, दिनांक 05/10/2023 द्वारा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर हेतु जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष तक प्रभावशील है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले ई–वेस्ट का अपवहन सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी. के ई–वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का अपवहन सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी. के बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले रेडियोलॉजी वेस्ट का अपवहन बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

7. जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रकियाधीन है।

8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,250 के.व्ही.ए. का 3 नग डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा, जिसकी चिमनी की ऊंचाई सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप रखी जाएगी।

10. परिसर के भीतर 300 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,40,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,00,000 रूपये, इस

प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,40,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 21,90,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयुक्त, नगर निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 565, कुल रकबा 5 एकड़ में से 2.8 एकड़) में कुल 34,000 नग पौधों के वृक्षारोपण किये जाने एवं 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण अनुसार कुल राशि 1,34,69,156 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये की शेष राशि 95,30,844 रूपये का अन्य स्थान पर ईको पार्क का पृथक से विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम एवं दूरी का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये में से राशि 1,34,69,156 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है। शेष राशि 95,30,844 रूपये का अन्य स्थान पर ईको पार्क का पृथक से विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स खरकेना डोलोमाईट माईन (प्रो.–श्री विनोद कुमार अग्रवाल), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2065)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 52187/ 2020, दिनांक 08/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77640/ 2020, दिनांक 03/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल–5.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष से 70,000.04 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/08/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनोद कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल – 5.708 हेक्टेयर, क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य

स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 10/10/2009 को जारी की गई।

ii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1170/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009–2010	40,240	2014–2015	44,780
2010–2011	44,850	2015–2016	44,800
2011–2012	44,960	2016–2017	44,930
2012–2013	37,400	2017–2018	44,280
2013–2014	44,800	2018–2019	44,900

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2019 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर** के ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्त क्रमांक VII, VIII, XVII, XXII एवं XXXI का आंशिक पालन होना बताया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों के पालन हेतु निम्न तथ्य प्रस्तुत किये है:–

Condition No.	Condition	Reply
VII & VIII	IRO Nagpur did not received any periodic monitoring report earlier to site visit.	At that time we are not aware of the condition but now we are submitting compliance report on regular basis.
XVII	During the visit green belt was not upto the mark around the mine boundary.	We had planted 50 trees in this monsoon season due to corona the plant was not maintained in proper condition.
XXII	Project proponent has not established environmental monitoring cell. Only mines manager is looking at the Environmental parameters and its management cell.	Now we had appointed third party monitoring lab and consultant along with mines manager and one employee to look into the environment parameters.
XXXI	Till the site visit no half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions, monitoring data along	We are submitting compliance report now in regular basis earlier we are not aware of

	with statistical interpretation and environment safeguards was submitted to IRO Nagpur.	that.

समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है:–

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निहित शर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा environmental monitoring हेतु किस कन्सलटेंसी से कराया जाना है, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालनार्थ में की गई कार्यवाही हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गई प्रतिवेदन (self-compliance report) की पाउती (receipt) की प्रति मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरकेना का दिनांक 27/09/2015 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4664/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं. 48/2015 नया रायपुर, दिनांक 03/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 568/ख.लि./न.क्र/2019 बिलासपुर, दिनांक 03/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 16.308 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बिलासपुर से जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है अथवा नहीं ? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री विनोद कुमार अग्रवाल के नाम पर है, लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/11/1996 से 28/11/2016 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/11/2016 से 28/11/2046 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1087 शासकीय भूमि है। खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1077/3, 1076,

1089, 1085/2, 1078, 1079, 1080 एवं 1077/1 आवेदक, खसरा क्रमांक 1073/2 एवं 1077/2 श्री नरेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खरकेना 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़पार 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–धौराभाठा 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 1.8 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 44,69,025 टन एवं माईनेबल रिवर्ज 30,38,954 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,905.76 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर से 6 मीटर है तथा कुल मात्रा 88,110 घनमीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 44 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	70,000.04
द्वितीय	70,000.04
तृतीय	70,000.04
चर्तुथ	70,000.04
पंचम	70,000.04

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज

क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री एवं पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,100 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,600	8,360	8,360	8,360	8,360
	फेंसिंग हेतु राशि	3,08,200	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,250	840	840	840	840
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 15,66,850		**6,66,050**	**2,25,200**	**2,25,200**	**2,25,200**	**2,25,200**

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 9,905.76 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 576.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	16.45	37.23	60

PM_{10}	23.65	51.23	100
SO_2	10.36	34.36	80
NO_2	9.44	28.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	41.24	69.23	75
Night L_{eq}	30.83	52.38	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 18 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 69 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (0.0-0.2) के भीतर है जो अति उत्कृष्ठ है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना –**

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM_{10}					
S. No.	**Activity in the mine**	**Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu g/m^3$) at core area**	**Calculated GLCs ($\mu g/m^3$)**	**Resultant Concentration GLCs ($\mu g/m^3$)**	**Limit (Industrial, Rural and other area) ($\mu g/m^3$)**
1.	Overall Activities with control ROM	67.15	11.0	78.15	100
2.	Overall Activities with uncontrol ROM		30.0	97.15	
3.	ROM Blasting		1.1	68.25	

19. लोक सुनवाई दिनांक 08/12/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम–खरकेना के ग्राम पंचायत भवन मैदान में तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 15/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान में कटीले तार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मवेशी अंदर ना जा सके।

ii. गांव में बहुत से युवा बेरोजगार है उनको खदान में नियमित तौर पर रोजगार प्रदान करें।

iii. खदान खोलने से पहले इस जगह पर छोटे झाड़ के जंगल थे, अब वह विरान हो गए हैं अगर इसी तरह से खनन कार्य होगा तो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए।

iv. गांव में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान को चारों तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा एवं चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे मवेशी अंदर न जा सके।

ii. खदान में गांव के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा गांव के विकास के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा।

iii. पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के लिए खदान के चारों ओर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iv. खदान से जो जल का निकासी होगा उस जल को गांव वालों के उपयोग के लिए गांव के किसी एक बांध में विस्तृत कर दिया जाएगा जिससे गांव के विकास कार्यों में काम आ जाएगा एवं गांव में जल का स्त्रोत बना रहेगा।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु उपयुक्त गणना कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
81.99	2%	1.64	Following activities at Nearby **Village-Kharkena**	
			Plantation in both side of Village	13.76

			Kharkena road	
			Total	13.76

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत सड़क मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,99,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 642/1, क्षेत्रफल 4.092 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के बाद ग्राउण्ड वॉटर टेबल आने पर खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जाएगा अन्यथा नहीं? समिति का मत है कि सामान्य स्थिति में 30 मीटर गहराई के पश्चात् उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

25. जनसुनवाई के दौरान उठाये गये सुझाव/विचार "गांव में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।" के संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु जल संसाधन विभाग/संबंधित विभाग को लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी अतिरिक्त टी.ओ.आर. के जिन बिन्दुओं के पालन में सहमति (Agreed) व्यक्त की गई है। इस संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निहित शर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा environmental monitoring हेतु किस कन्सलटेंसी से कराया जाना है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2019 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बिलासपुर से जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तुत ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के बाद ग्राउण्ड वॉटर टेबल आने पर खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जाएगा अन्यथा नहीं? समिति का मत है कि सामान्य स्थिति में 30 मीटर गहराई के पश्चात् उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

13. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु उपयुक्त गणना कर प्रस्तुत किया जाए।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

15. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. जनसुनवाई के दौरान उठाये गये सुझाव/विचार "गांव में भू-जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।" के संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु जल संसाधन विभाग को लेख किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

20. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 18/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी अतिरिक्त टी.ओ.आर. के जिन बिन्दुओं के पालन में सहमति (Agreed) व्यक्त की गई है। इस संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निहित शर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर फोटोग्राफ्स (photographs) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा environmental monitoring का कार्य नोएडा टेस्टिंग लेबोरेटरी कन्सलटेंसी से कराया जाएगा।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1762/ख.लि./नो.क्र.169/2022 बिलासपुर, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2019–2020	44,710
2020–2021	45,000
2021–2022	44,965

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2012/ख.लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं, राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. पूर्व में खसरा क्रमांक 1073/2 एवं 1077/2 श्री नरेश कुमार अग्रवाल के नाम पर थी। वर्तमान में उक्त खसरा का हस्तांतरण आवेदक (श्री विनोद कुमार) के नाम पर हो गया है। इस बाबत् भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

8. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक./6253 बिलासपुर, दिनांक 29/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "उक्त उत्खनन क्षेत्र से लगभग 15.80 कि.मी. पर फदहाखार आरक्षित वन क्षेत्र स्थित है।" का उल्लेख है।

9. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत खरकेना का दिनांक 30/11/2008 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. ग्राउण्ड वॉटर टेबल आने की स्थिति में खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 3 कि.मी.	3,60,000	3,60,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000
6,000 मीटर लम्बे पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,52,000	15,200	50,616	50,616	50,616

फेंसिंग कार्य के लिए राशि	16,00,000	–	–	–	–
खाद के लिए राशि	15,000	1,500	5,010	5,010	5,010
सड़क/पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु	4,88,000	2,88,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000
अन्य कार्य हेतु राशि	1,00,000	1,00,000	–	–	–
कुल राशि = 1,01,26,578	**27,15,000**	**7,64,700**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
890 मीटर लम्बे पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (297 नग) वृक्षारोपण हेतु	22,572	2,280	1,748	1,748	1,748
फेंसिंग कार्य के लिए राशि	2,37,600	–	–	–	–
खाद के लिए राशि	2,250	240	180	180	180
सिंचाई एवं रख–रखाव	2,05,583	95,583	75,427	75,427	75,427
कुल राशि = 7,98,173	**4,68,005**	**98,103**	**77,355**	**77,355**	**77,355**

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

13. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. जनसुनवाई के दौरान उठाये गये सुझाव/विचार "गांव में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।" के संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु जल संसाधन विभाग को दिनांक 18/11/2022 को पत्र लेख किया गया है, आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान भू–जल स्तर से काफी ऊपर है। अगर भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो इसका ध्यान रखा जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

21. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

22. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 568/ख. लि./न.क्र/2019 बिलासपुर, दिनांक 03/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 16.308 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खरकेना) का क्षेत्रफल 5.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खरकेना) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 22.008 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल

नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खरकेना डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री विनोद कुमार अग्रवाल) को ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–5.7 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–70,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स मिंगाचल–1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली), ग्राम–मिंगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2509)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432808/2023, दिनांक 09/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मिंगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 36, कुल क्षेत्रफल–14.235 हेक्टेयर में से 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मिंगाचल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विज्जा कुड़ियम, उप सरपंच उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण** पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गदामली का दिनांक 02/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1091/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2023–24 उ.ब.कांकेर, दिनांक 25/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 228/कले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 226/कले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 145/कले./खनिज/रे.ख./2023 बीजापुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मिंगाचल 1.5 कि.मी., स्कूल गदामली 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल बीजापुर 20 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। खदान के डाउनस्ट्रीम में पुल 412 मीटर में स्थित है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 202 मीटर, न्यूनतम 190 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 354 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 85 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 30,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 01/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4	2%	0.08	Following activities at nearby **Village- Mingachal**	
			Plantation in Periphery of Muktidham & 5 years AMC	5.08
			Total	**5.08**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम गदामली स्थित मुक्तिधाम के चारो ओर (नीम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 254 नग पौधों के लिए राशि 29,304 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 59,300 रूपये, खाद के लिए राशि 1,920 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,72,524 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,36,320 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गदामली के सहमति उपरांत मुक्तिधाम यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 411, रकबा 0.385 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 177 नग पौधों के लिए राशि 23,452 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 53,100 रूपये, खाद के लिए राशि 1,320 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 72,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,49,872 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 2,94,072 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी तट पर स्थानीय प्रजाति (जैसे जामुन, करंज, अर्जुन एवं आम) के कम से कम 300 नग वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर स्थानीय प्रजाति (जैसे जामुन, करंज, अर्जुन एवं आम) के कम से कम 300 नग वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 30/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में खनि निरीक्षक, जिला–बीजापुर द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर को प्रेषित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित किये जाने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बीजापुर वनमंडल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/त.अ./3638 बीजापुर, दिनांक 26/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भैरमगढ़ अभ्यारण्य की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है एवं रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान की सीमा स्थित नहीं है।
3. नदी के तट पर वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 300 नग पौधों के लिए राशि 22,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 90,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 92,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,07,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,98,080 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं

नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मिंगाचल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मिंगाचल) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की एक प्रति जिला खनिज अधिकारी तथा एक प्रति एस.ई.आई.ए.ए. को भेजी जाएगी। भविष्य में रेत उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन अवधि, उक्त स्टडी रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून

के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मिंगाचल–1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 36, ग्राम–मिंगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. नदी के तट पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल) के संबंध में जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित किये जाने बाबत् प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डी. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S QUINCE GREEN ESTATE (P) LTD., VILLAGE- NAWAGAON AND TUTA, DISTRICT- RAIPUR FOR PROPOSED RESIDENTIAL COMPLEX WITH GOLF COURSE AND AMENITIES IN AN AREA OF 56.17 HECTARE (134 ACRE) AT KHASRA NO.- 4/2 AND 196 OTHERS

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur.(If required)

iii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

v. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.

vi. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

viii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

ix. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

I. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around

the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water Quality Monitoring And Preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.

iii. Total fresh water requirement 126 m3/day shall not exceed in the project. Project proponent shall obtain prior permission from Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran for usage of water.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall submit to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur along with six monthly Monitoring reports.

v. Tap aerators shall be installed which facilitate cleaning through increasing the pressure at which the water delivered even at low flow rates. Pressure reduction device shall be installed which will affect the discharge rate and also to maintaion the unform flow at different levels.

vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

viii. During construction of proposed Residential complex with Golf Course & Amenities project Dual Plumbing system will be done. Two separate water tank will be provided for storing treated wastewater & another for fresh water. Seperate pipline system will be provided to treated wastewater tank to pump the water for toilet flushing & gardening purposes. There by net water withdrawal will be reduced.

ix. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xii. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rainwater harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed to harvest the run-off water from roof top by laying a separate storm water drainage system for recharging of ground water. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop atlest 64 numbers of recharge structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.

xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xvii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur along with six monthly Monitoring reports.

xviii. Sewage shall be treated in the STP of proposed capacity 175 KLD (bar screen, oil/ grease trap, collection cum equilization tank, Aeration reactors, clarifier, chlorination cum disinfection, psf,acf, activated carbon fitler, filter press and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, washing purpose and gardening after disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

xix. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xx. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% wastewater to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated wastewater shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.

xxi. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.

xxii. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Construction activities shall not be done during night time. Noisy machineries shall be enclosed in acostic enclosure. Adequate measures shall be made to

reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iii. Landscaping, driveway and common area lighting shall be of LED. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

iv. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

v. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.

ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

iv. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

v. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vi. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.

vii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification dated 31st December 2021. Ready mixed concrete must be used in building construction.

viii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

ix. E-waste generated from the premises shall be collected separately for transportation to the authorized recyclers approved by CPCB/SPCB. E-waste shall be disposed off as per the CPCB guidelines.

x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).

ii. Green belt shall be developed in an area of 37.85 hectare with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping. Project Proponent shall ensure that 2 to 3 tier of plantation all around the plant premises.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, aved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.

b. Traffic calming measures.

c. Proper design of entry and exit points.

d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

IX. Human Health Issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

v. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

vi. Project proponent shall submit the report of plantation done under CER activity duly verified by officer NRANVP. The plants should be serially numbered and photographs should be submitted along with the report.

X. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
10,000	2%	200	Following activities at, Nava raipur	
			Plantation along the periphery of Jhanjh Lake	147.50
			Airport connecting road to Mahatma Gandhi Chowk	58.14
			Total	**205.64**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Nagar Nigam/Competent authority.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Additional Conditions

i. Local persons shall be given employment during construction and operation of the site.

ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xiv. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xvii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR MS INGOT/ BILLETS THROGH INDUCTION FURNACE CAPACITY- 59,400 TONNES / YEAR (2X10 MT) TO 1,48,000 TONNES / YEAR (THROUGH IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL 2X10 MT AND UPGRADATION OF EXISTING 2X10 MT TO 2X12 MT (FINAL 4X12 MT) INDUCTION FURNACE) OF M/S RADHEY GOVIND STEEL & ALLOYS PRIVATE LIMITED, VILLAGE-PUNJIPATHARA, TEHSIL-TAMNAR, DISTRICT-RAIGARH, PLOT NO.- 102, SECTOR-A, AREA-2.39 HA.

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

v. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant, covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Industry shall provide crucible smoke hoods with with dust collector with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc.

also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. Induction furnace shall be electrically operated. No solid, liquid or gaseous fuel shall be not used under any circumstances.

vi. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vii. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. MBBR based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Defective Billets shall be Reused in own induction furnace. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer. Tar and Oily sludge shall be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pellet plant units.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 45% (1.0757 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
687	1%	6.87	Following activities at, **Village - Taraimal**	
			Eco Park Nirman	7.45
			Total	**7.45**

ii. Development of "Pavitra-van Nirman" in **Village- Taraimal,** khasra no. 37/2, area 1 acre as dense and religious plantaion. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall ensure that as per the Wildlife conservation plan mentioning the budget. Project proponent shall not disturb the forest landscape of the vicinity. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall prepare Wildlife conservation plan and get its approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

iv. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

v. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

vi. No additional land shall be acquired for this project.

vii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

viii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ix. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

x. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xiii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xvi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xx. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR MS INGOT/ BILLETS THROGH INDUCTION FURNACE CAPACITY- 57,321 TONNES / YEAR (2X10 MT) TO 1,48,000 TONNES / YEAR (THROUGH IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL 2X10 MT AND UPGRADATION OF EXISTING 2X10 MT TO 2X12 MT (FINAL 4X12 MT) INDUCTION FURNACE) OF M/S SADGURU ISPAT PVT. LIMITED, VILLAGE-PUNJIPATHARA, TEHSIL-GHARGHODA, DISTRICT-RAIGARH, PLOT NO.- 154, AREA-2 HA.

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

v. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant, covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Industry shall provide crucible smoke hoods with with dust collector with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc.

also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. Induction furnace shall be electrically operated. No solid, liquid or gaseous fuel shall be not used under any circumstances.

vi. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vii. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. MBBR based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Defective Billets shall be Reused in own induction furnace. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer. Tar and Oily sludge shall be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pellet plant units.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 42% (0.84 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
800	1%	8.0	Following activities at, **Village - Taralmal**	
			Eco Park Nirman	9.14
			Total	**9.14**

ii. Development of "Pavitra-van Nirman" in **Village- Taralmal,** khasra no. 37/2, area 1 acre out of 5.808 hectare as dense and religious plantaion. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall ensure that as per the Wildlife conservation plan mentioning the budget. Project proponent shall not disturb the forest landscape of the vicinity. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall prepare Wildlife conservation plan and get its approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

iv. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

v. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

vi. No additional land shall be acquired for this project.

vii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

viii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ix. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

x. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xiii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xvi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xx. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स खरकेना डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री विनोद कुमार अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल लीज क्षेत्र 5.7 हेक्टेयर, ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन – 70,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 5.7 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 70,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित

नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.99	2%	1.64	Following activities at Nearby Village-Kharkena	
			Plantation in both side of Village Kharkena road	13.76
			Total	**13.76**

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत सड़क मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,99,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 642/1, क्षेत्रफल 4.092 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसा कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,100 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,140 नग पौधों का रोपण (कुल 2,240 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय

70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

39. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका

अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.   अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स मिंगाचल–1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 36, कुल क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–मिंगाचल, तहसील–मैरमगढ़, जिला–बीजापुर (छ.ग.) में मिंगाचल नदी से रेत उत्खनन क्षमता 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की

जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 600 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4	2%	0.08	Following activities at nearby Village- Mingachal	
			Plantation in Periphery of Muktidham & 5 years AMC	5.08
			Total	**5.08**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत

किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम गदामली स्थित मुक्तिधाम के चारो ओर (नीम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 254 नग पौधों के लिए राशि 29,304 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 59,300 रूपये, खाद के लिए राशि 1,920 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,72,524 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,36,320 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गदामली के सहमति उपरांत मुक्तिधाम यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 411, रकबा 0.385 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के **अनुरूप वार्षिक** योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **parivesh.nic.in** पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.